प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–अलीगढ़, इलाहाबाद, गोरखपुर, झॉसी, कानपुर नगर, आगरा, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराईच, बलरामपुर, बांदा, बाराबकीं, बरेली, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, गोण्डा, हरदोई, कन्नौज, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संतकबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, उन्नाव, वाराणसी, ललितपुर, कासगंज, अमरोहा, भदोही, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, महोबा, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बलिया, बस्ती, बुलन्दशहर, चन्दौली, फतेहपुर, फिरोजबाद, जी0बी0 नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, मऊ एवं सहारनपुर।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2016–17/5833-70 दिनांक 29/09/2016

विषय– जनपद/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0, स्तर पर "पोषण पुनर्वास केन्द्रों" (NRCs) के संचालन हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में कुपोषण एक गंभीर समस्या है तथा एन0एफ0एच0एस0–III के अनुसार 3 वर्ष से कम उम्र के 42 प्रतिशत बच्चों का वज़न अपनी उम्र के हिसाब से कम है और लगभग 5 प्रतिशत बच्चे अति गंभीर रूप से कुपोषित है अर्थात इनका वज़न ऊँचाई के अनुपात में बहुत कम है। कुपोषित बच्चों में मृत्यु की सम्भावना 9 गुना अधिक होती है। कुपोषण की रोक थाम एवं उपचार के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के लिये **पोषण पुनर्वास केन्द्रों** (NRCs) के संचालन हेतु मानव संसाधन के मानदेय एवं आपरेशनल कास्ट हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है इसके उपयोग के सम्बन्ध में दिशानिर्देश निम्नवत है। भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि के दृष्टिगत दिशानिर्देश जारी किये जा रहें है।

पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) की क्रियाशील बनाये रखने तथा इकाईयों को क्रियाशील करने हेतु इस कार्यालय से प्रेषित पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2015–16/7542–42, दिनांक 23.10.2015, पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2015–16/7543–10, दिनांक 23.10.2015 एवं पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/ 18–4/2015–16/7543–10, दिनांक 23.10.2015 उक्त पत्रों के माध्यम से धनराशि एवं विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये थे का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की आर0ओ0पी0 में पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) को क्रियाशील बनाये रखने हेतु आपरेशनल कास्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय के लिए अनुमोदित धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार जनपदो की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है।

उद्देश्यः–

- 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों की उचित देखभाल जिससे कि कुपोषण से होने वाले शिशु एवं बाल मृत्युदर में वांछित कमी लाई जा सके।
- अति कुपोषित बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- बच्चे की खान–पान तथा उचित देखभाल में माताओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता को विकसित करना।
- समुदाय को पोषण सम्बन्धी समस्याओं व समाधान के प्रति जागरूक करना।

पोषण पुर्नवास केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली सेवायेः–

1. सैम बच्चों को भर्ती एवं डिस्चार्ज के समय घर छोड़ने का प्रबन्ध 102 एम्बुलेंस के माध्यम से दिया जाता है।
2. भर्ती किये गये कुपोषित बच्चों की चौबीस घन्टे उचित देखभाल।
3. आवश्यक जांच बीमारी एवं जटिलताओं का मानक प्रोटोकाल के अनुरूप चिकित्सकीय उपचार।
4. उपचारात्मक आहार की व्यवस्था।
5. माँ एवं देखभाल करने वाले को उचित खान–पान, साफ सफाई के विषय पर परामर्श देना।
6. माताओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों से कम लागत की पोषण विधियों पर प्रशिक्षित करना।
7. पोषण पुनर्वास केन्द्र में डिस्चार्ज के बाद हर 15 दिन में 2 माह तक 4 बार फॉलोअप करना।
8. माँ को निशुल्क आहार दिया जाता है।

1– वित्त पोषण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में स्वीकृति की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्याय किया जाय।

A– ऑपरेशनल कास्ट–

- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये आर0ओ0पी0 में पोषण पुनर्वास केन्द्र को क्रियाशील बनाये रखने एवं गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करने हेतु ऑपरेशनल कास्ट हेतु **FMR Code-A.2.5** पर औषधियों **(चिकित्सालय में नियमित रूप से उपलब्ध औषधियों इलाज के लिये उपलब्ध करायी जायेगीं तथा एन0आर0सी0 प्रोटोकाल के अनुसार यादि कोई औषधि उपलब्ध नहीं है तो नोडल अधिकारी की सलाह से आवश्यकतानुसार औषधि का क्रय किया जाये)** मेडिकल कालेज के नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि EDL में उपलब्ध एन0आर0सी हेतु आवश्यक दवाओं की लिस्ट सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को समय से उपलब्ध करायें। मेडिकल कॉलेजों को EDL के अन्तर्गत उपलब्ध दवाईया एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को मेडिकल कालेजों में संचालित इकाइयों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0) की होगी।
- कन्स्यूमेबल, भर्ती बच्चे के लिये आहार, मॉ के लिये दैनिक भत्ता, कन्टीजेन्सी, उपकरणों के रखरखाव/मरम्मत आदि एवं बच्चे के फोलोअप आदि का वहन तालिका–1 में दिये गये मानक के अनुसार व्यय किया जायेगा। जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

	Budget for NRCs (2016-17)
S. N.	**Item**
A	**Operational Cost *(COST OF TREATING 20 CHILDREN PER MONTH)***
1	Food for children @ Rs. 75 per child/day
2	Daily wage compensation Rs. 50 per day and Rs. 50 for mother's food per mother/day
3	Contingency – Gas cylinder, Linen cleaning (Laundry) Phenyl, Soap, Mosquito repellent, Washing powder, etc @ Rs. 2000/month.
4	Maintenance of equipments (based on actual expenditure)and/or Purchase of new Weighing Scale/Infantometer or other ward equipments (only if non-functional or non-repairable and with the consent of the state) (Rs. 20000 for year)
5	Contingency for Miscellaneoues items like for documention (Printing of NRC documents-SAM chart, Discharge ticket, NRC register etc. photographs, photocopying, display board , Wall Painting, Internet connection, phone charges etc. Rs 12000 per year.
6	Medicine and micro nutrient will be used from available govt. supply and drugs which are not available can be Localy purchased.
B	**Cost for each follow up visits (For 4 Follow-ups)**
1	Food for children @ Rs. 40 per child/Follow-up
2	Daily wage compensation for (food for mothers Rs. 100 per mother/day)

B– मानव संसाधन–

- जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा पोषण पुर्नवास केन्द्र के संविदा मानव संसाधन की भर्ती हेतु गठित साक्षात्कार कमेटी में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को भी नामित करना अनिवार्य है।

- पोषण पुनर्वास केन्द्र में संविदा पर कार्यरत स्टाफों को समय एवं अनुशासन से कार्य न करने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अनुशासत्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में कार्यरत संविदा मानव संसाधन का मासिक मानदेय प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से आहरित किया जायेगा।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी मानदेय हेतु आवटिंत धनराशि तत्काल सम्बन्धित जिला चिकित्सालय को स्थान्तरित करना सुनिश्चित करें।
- **पोषण पुनर्वास केन्द्र पर कार्यरत संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।**
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0, में कार्यरत एन0आर0सी0 के संविदा चिकित्सा अधिकरियों** के मानदेय हेतु FMR Code A.8.1.5.6 पर प्रति इकाई 1 **चिकित्सा अधिकारी के अनुसार** पूर्व से कार्यरत 28 चिकित्सा अधिकारियों को रू0 41580/– प्रतिमाह की दर से 9 माह के मानदेय देय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है **तथा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि दी जायेगी एवं शेष 48 चिकित्सा अधिकारियों** के रू0 39600/– प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0** के संविदा स्टॉफ नर्सों के मानदेय हेतु FMR Code-A.8.1.1.2.f पर पूर्व से कार्यरत 214 स्टाफ नर्सों को रू0 19060/– प्रतिमाह की दर से 9 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है **तथा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि दी जायेगी एवं शेष 84 स्टाफ नर्सों** को रू0 18150/– प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0** के **संविदा** न्यूट्रिशनिस्ट के मानदेय हेतु FMR Code-A.8.1.7.5.4 पर प्रति इकाई 1 न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार पूर्व से कार्यरत 55 न्यूट्रिशनिस्ट को रू0 17325/– प्रतिमाह की दर से 9 माह के मानदेय देय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है **तथा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि दी जायेगी एवं शेष 21 न्यूट्रिशनिस्ट** के रू0 16500/– प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0** के संविदा **कुक/रसोईया 1 प्रति इकाई के अनुसार** मानदेय हेतु FMR Code- A.8.1.11.f पर 57 **कुक/रसोईया** को रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से 9 माह एवं 19 **कुक/रसोईया** के रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0** के संविदा **केयर टेकर 1 प्रति इकाई के अनुसार** मानदेय हेतु FMR Code- A.8.1.11.f पर 57 **केयर टेकर** को रू0 6400/– प्रतिमाह की दर से 9 माह के मानदेय एवं 19 **केयर टेकर** के रू0 6400/– प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0 के सफाई कर्मियों (आउटसोर्सिगं के माध्यम से) के** मानदेय हेतु FMR Code- A.8.1.11.f पर **1 प्रति इकाई के अनुसार** 43 **सफाई कर्मियों** को रू0 6400/– प्रतिमाह की दर से 9 माह के मानदेय एवं 33 **सफाई कर्मियों** के रू0 6400/– प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।

2– गम्भीर रूप से कुपोषित (Severe Acute Malnutrition-SAM) बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर संदर्भित करने तथा फालोअप में लाने पर आशा/आंगनवाडी को प्रतिपूर्ति राशि अनुमोदित की गयी है।

- **<u>आशा एवं आगनवाड़ी (सन्दर्भन–प्रतिपूर्ति राशि)</u>** –भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 की आर0ओ0पी0 के FMR Code- B1.1.3.2.4 पर Severe Acute Malnutrition (SAM) **बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर सन्दर्भन एवं** भर्ती कराने पर कुल रू0 50/– प्रति बच्चे के अनुसार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
- **<u>आशा एवं आंगनवाड़ी (फालोअप–प्रतिपूर्ति राशि)</u>** –भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 की आर0ओ0पी0 के FMR Code- B1.1.3.2.5 पर Severe Acute Malnutrition (SAM) बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों से डिस्चार्ज के उपरान्त 15–15 दिन पर 4 फॉलोअप कराने पर कुल रू0 100/– प्रति बच्चे के अनुसार धनराशि संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

<u>3– Procurement of Computer/Printer/UPS/Data Card -NRCs</u> में **FMR Code-B16.1.2.7 पर** Procurement of Computer/Printer/UPS/Data Card -NRCs पर इकाईयों Rs.60,000/- one time) हेतु रू0 60,000/– प्रति इकाई के अनुसार धनराशि संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

- Procurement of Computer/Printer/UPS/Data Card -NRCs पर (कम्प्युटर, यू0पी0एस0, डाटा कार्ड, प्रिन्टर, कम्प्युटर टेवल, कुर्सी हेतु) क्रय करने हेतु specification नीचे तालिका में दिये जा रहे हैं।

SN	Specifications	Qty.	Make	Amount (in Rs.)
1	Desktop having Intel core i3 or higher processor. 4GB DDR-III RAM or higher expandable up to 8GB; Integrated sound & graphics controller, Gigabite Ethernet Controller with IPV6 complaint; 500GB or higher SATA-II HDD (7200 rpm) 17" or higher TFT, LCD monitor with 5 ms or better response time and inbuilt/side attachable speakers ; Preloaded latest version antivirus software with one year free upgrade validity; Preloaded with OEM Pack Window 7 HB, all necessary Plug-n-Play/utilities and driver software , bundled in CD/DVD Media. Standard OEM Warranty. Price all inclusive.	One	Acer/ Dell/ HCL/ Wipro etc.	**60,000.00**
2	Laserjet Printer; A4,18/14 ppm or higher, 600x600 dpi (1200 dpi effective output), 2MB Memory, USB Port with 5000 pages duty cycle with one year warranty price all inclusive and Standard OEM Warranty.	One	HP/ Cannon/ Epson etc	
3	UPS 700 VA Offline with 30 mins backup Standard OEM Warranty	One	Neo-Power / APC/ EATON/ MICROTEK/TVS etc (ISO Certified with one year warranty)	
4	Data Card 14.4 Mbps/ above 14.4 Mbps 3G/4G	One		
5	Computer Table & Chair	One		
	Total Amount Rs.			**60,000.00**

पोषण पुनर्वास केन्द्र **(NRC)** सम्बन्धी कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय को पोषण पुनर्वास केन्द्र हेतु उपरोक्तानुसार कुल रू0 60,000.00 की धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की जा रही है कि यदि पूर्व में पोषण पुनर्वास केन्द्र हेतु कम्प्युटर उपलब्ध है, तो इसका उपयोग न किया जायें। कम्प्युटर का क्रय नियमानुसार किया जाये जिसे पोषण पुनर्वास केन्द्र **(NRC)** की स्टॉक बुक में अंकित किया जाये, उपरोक्त क्रय के मूल डॉक्यूमेन्ट आडिट हेतु सुरक्षित रखे जायें सामग्री क्रय करने उपरान्त उसके ओरिजनल पार्ट होने का प्रमाण पत्र सुरक्षित रखा जाये।

भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद/मेडिकल कॉलेज/सी0एचसी0 को एन0आर0सी0 हेतु धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि **Revalidated** की गयी है तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, मॉग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि **Unspent** के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।

नोटः–

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
3. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जनपद के सम्बन्धित अधिकारी/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
4. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
5. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
7. प्रत्येक माह एन0आर0सी0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेख्या प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
8. **एन0आर0सी0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान व विभाग में कार्य करने के लिये न लगाया जाय। पर्यवेक्षण/फीडबैक में यदि इसकी पुनरावृत्ति पायी जाती है तो इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।**
9. सुनिश्चित करें कि संविदा कर्मी समय से ड्यूटी करें (यदि अन्य जनपद से आना जाना हो तो समय की पाबन्दी अवश्य सुनिश्चित की जाय) समय से न आने वालों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये तथा अभिलेख संविदाकर्मी की पत्रावली में प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखा जाये।
10. **भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 मे पोषण पुनर्वास केन्द्र में कार्यरत संविदा मानव संसाधन हेतु पुनर्रक्षित दर के अनुसार मानदेय स्वीकृत किया गया है जिन कर्मचारियो का जिस माह में एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार आगामी माह से पूर्व में दिये जा रहे मानदेय पर भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में मानदेय में 5% की वृद्दि दी जायेगी।**
11. वित्तीय वर्ष के दौरान पोषण पुनर्वास केन्द्र मे अगर कोई भी मानव संसाधन का पद रिक्त है और उसका पद स्वीकृत हो और मानदेय उपलब्ध हो तो उस मानव संसाधन की नियुक्ति नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।
12. **जिला स्तरीय टीम द्वारा प्रत्येक तीन माह के अन्तराल पर संयुक्त रूप से पोषण पुनर्वास केन्द्र एवं कार्यरत मानव संसाधन के कार्य का अनुश्रवण किया जायेगा एवं टीम द्वारा समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/नोडल अधिकारी–एन0आर0सी0/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया जायेगा जिला स्तरीय टीम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल अधिकारी–एन0आर0सी0/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक शामिल होंगें।**
13. **इस कार्यालय के पत्र संख्या– एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0 एम0एस0/187/96–2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।**

4– मानव संसाधन एवं दायित्व :–

कार्यक्रम संचालन हेतु पुर्नवास केन्द्र पर निम्न स्टाफ की आवश्यकता होगी ।

- चिकित्सा अधिकारी –1 (संविदा पर)
- न्यूट्रीशनिस्ट काउन्सलर –1 (संविदा पर)
- स्टाफ नर्स –4 (संविदा पर)
- रसोईया –1 (संविदा पर)

- केयर टेकर —1 (संविदा पर)
- सफाई कर्मी —1 (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)

a— चिकित्सा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :—

चिकित्सा अधिकारी द्वारा गम्भीर कुपोषित बच्चों का निदान एवं उपचार करना, दवा के बारे में स्टाफ नर्स, न्यूट्रीशनिस्ट व परिवार के सदस्यों को बताना। जॉच के उपरान्त लक्षणों के अनुसार न्यूट्रीशनिस्ट को आहार की मात्रा तय करने तथा सभी कर्मियों का आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करना। **जिला पुरूष चिकित्सालय / विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग मेडिकल कालेज / सी0एच0सी0 के नोडल अधिकारी—एन0आर0सी0 / अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ समन्वय रखना।** भर्ती बच्चों को सायंकालीन राउन्ड कर उनकी समुचित देखभाल करना, स्टाफनर्स को आवश्यक निर्देश देना, दवाइयों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, सेमचार्ट एवं एन0आर0सी0 रजिस्टर का नियमित अवलोकन करना माह के अन्त में प्रारूप पर मासिक रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी / महानिदेशक परिवार कल्याण एवं एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करना। प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित मासिक बैठक में पोषण पुनर्वास केन्द्र पर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के विषय में जानकारी देना।

- भर्ती किये जाने वाले बच्चों के बारे में ब्लॉक स्तर पर आयोजित आशाओं तथा आंगनवाड़ी की बैठक में आशाओं को प्रशिक्षित करना तथा दिये जाने वाले इन्सेन्टिव की जानकारी देना। वाहन की व्यवस्था संयुक्त रूप से अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा डी0सी0पी0एम0 के साथ समन्वय कर भ्रमण की व्यवस्था की जा सकती है। उक्त के साथ एन0आर0सी0 में तैनात संविदा कर्मियों के दायित्व का पर्यवेक्षण करना तथा प्रशिक्षण देना।
- एन0आर0सी0 के चिकित्साधिकारी / प्रभारी अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली पोषण मिशन की बैठक में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है।

b— न्यूट्रीशनिस्ट के कार्य एवं दायित्व :—

प्रत्येक बच्चे के वज़न और स्थिति के अनुसार प्रतिदिन आहार तय करना। रसोइया को आहार तैयार करने हेतु किस वस्तु को कितनी मात्रा में कब मिलाना है और कितना मिलाना है के विषय में निर्देशित करना होगा न्यूट्रीशनिस्ट को प्रातः 9:00 बजे से 5:00 बजे तक बच्चों की देखभाल करनी होगी।

- माताओं को पोषण पुर्नवास केन्द्र एवं घर पर पोषण आहार, बच्चे की देखभाल, स्वास्थ्य एवं साफ सफाई करने संबंधित विषयों पर प्रतिदिन परामर्श सत्र आयोजित कर सलाह देना।
- स्टाफ नर्स, रसोइया एवं केयर टेकर के साथ मिलकर सुनिश्चित करना कि वार्ड में भर्ती बच्चों को सभी आहार, सूक्ष्म पोषक तत्व, दवाइयों एवं टीकाकरण की सुविधा प्राप्त हो सके।
- पोषण पुर्नवास केन्द्र के रख रखाव एवं खाना बनाने के लिए आवश्यक समस्त सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- न्यूट्रीशनिस्ट को सूक्ष्म पोषक तत्वों की मानकानुसार जानकारी होना चाहिये।
- चिकित्सक को प्रत्येक बच्चे की स्थिति जैसे वज़न में हुई बढ़ोतरी, कमी, लिया गया आहार एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना।
- हर दिन नियत समय पर (सुबह 10.00 बजे) प्रत्येक बच्चे का वज़न लेकर माँ को बतलाना, उसे परामर्श देना एवं सैम चार्ट में अंकित करना। पोषण पुर्नवास केन्द्र से संबंधित समस्त सामग्री का लेखा जोखा स्टाफ नर्स के साथ मिलकर रखना। बच्चे का, सैम चार्ट, एन0आर0सी0 रजिस्टर, डिस्चार्ज टिकिट, फोटो एल्बम का रख—रखाव एंव मासिक भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।
- वेब—बेस्ड एन0आर0सी0 एम0आई0एस0 डेटाइन्ट्री एवं रिपोर्टिंग का कार्य भी आपके द्वारा किया जायेगा।
- स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित बैठक में भाग लेकर पोषण पुनर्वास केन्द्र पर दी जा रही सेवाओं के बारे में प्रचार—प्रसार करना आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री को Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना तथा कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन के लिये प्रेरित करना।
- बच्चो की भर्ती की संख्या, दिन, दिनांक का ग्रामवार एवं आशावार / आंगनवाड़ी के अनुसार ब्यौरा रखा जाये तथा इसे DPO/CDPO को प्रभावी फॉलो—अप के लिए प्रत्येक माह अवगत कराया जाये।

- सप्ताह में 2 बार समय निकाल कर प्रसव पूर्व/प्रसव उपरान्त महिला वार्ड में स्तनपान को बढावा देने के विषय में माताओं को जानकारी देना, उससे होने वाले लाभ एवं कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना। कितने महिलाओं को इसकी जानकारी दी गयी है की तिथिवार पूर्ण जानकारी अपनी डायरी में अंकित करें।

c– स्टाफ नर्स के कार्य एवं दायित्व :–

- केन्द्र में भर्ती गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना। स्टाफ नर्स की डियूटी रोटेशन के अनुसार 8–8 घंटे की होगी।
- चिकित्सक के अंनुसार हर बच्चे को दवाइयां देना एवं इंजेक्शन लगाना। चिकित्सक के द्वारा लिखे गए इलाज की हर खुराक की निगरानी करना एवं सैम चार्ट में अंकित करना।
- सुनिश्चित करना कि हर बच्चे को छूटे हुए टीकाकरण का लाभ मिल सके। (हर बच्चे का सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना)
- पोषण पुर्नवास केन्द्र में उपलब्ध दवाओं की उपलब्धता, उपयोग एवं खरीद सम्बन्धी सूची बनाना।
- बच्चे का सैम चार्ट, एन0आर0सी0 रजिस्टर, डिस्र्चाज टिकिट, फोटो एल्बम का रख–रखाव की स्टाफनर्स व न्यूट्रीशनिस्ट दोनों की जिम्मेदारी होगी।
- स्टाफ नर्स को मानकानुसार दवायों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी होना आवश्यक है एवं बच्चों को मानक के अनुसार दवायें देने के बारे में सेम चार्ट में अंकित किया जाये।
- चिकित्सक तथा न्यूट्रीशनिस्ट से परस्पर तालमेल रखकर बच्चे की देखभाल तथा आवश्यकता के अनुसार बच्चे को दवा देना, बच्चे की साफ–सफाई रखना, बिस्तर साफ रखना, वज़न लेना, यदि अन्य कोई संक्रमण या बीमारी है तो चिकित्सक से परामर्श कर दवा देना आदि स्टाफ नर्स की जिम्मेदारी है। कितने बच्चे भर्ती किये गये कितने डिस्चार्ज किये गये का रखरखाव भी स्टाफ नर्स की ही जिम्मेदारी है मां को बच्चे की देखभाल के बारे में बताना। चिकित्सक की अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल कर उसका हाल चिकित्सक को बताना जिससे सही इलाज हो सके।
- न्यूट्रीशनिस्ट की डियूटी समाप्त होने के उपरान्त डियूटी पर उपस्थिति स्टाफ नर्स द्वारा बच्चों को चिकित्सक/न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा निर्धारित की गयी डाईट के अनुरूप आहार तैयार कर, बच्चे को दिया जायेगा।
- डियूटी स्टॉफ नर्स, रसोईया की डियूटी के पश्चात चिकित्सक/न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा निर्धारित की गयी डाईट के अनुरूप आहार रसोईया से समन्वय कर बच्चे को प्रदान करेगी। रात में बच्चे की फीड इकाई में कार्यरत स्टाफनर्स द्वारा प्रदान बनायी जायेगी एवं इकाई में भर्ती बच्चों को फीड दिया जायेगा तथा बच्चे के ग्रहण के अनुसार सैम चार्ट में अंकित किये जायेगा।
- भर्ती बच्चे के माता पिता को संन्तुलित आहार एवं पौष्टिक आहार के बारे में शिक्षित करना तथा बच्चों में कुपोषण से बचाव के बारे में समझाना।
- समय निकाल कर प्रसव पूर्व/प्रसव उपरान्त महिला वार्ड में स्तनपान को बढावा देने के विषय में माताओं को जानकारी देना, उससे होने वाले लाभ एवं कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना। कितने महिलाओं को इसकी जानकारी दी गयी है की तिथिवार पूर्ण जानकारी अपनी डायरी में अंकित करें।
- आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री को Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना तथा कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन के लिये प्रेरित करना।

d– रसोईया के कार्य एवं दायित्व :–

- न्यूट्रीशनिस्ट के निर्देशानुसार भोजन बनाना, केयर टेकर से सम्पर्क स्थापित कर समय से भोजन तैयार करना।
- रसोई की साफ सफाई सुनिश्चित करना। खाना पकाने एवं रसोई में भंडारण के लिए उपयोग किये जाने वाले बर्तनो को साफ करना।
- सुनिश्चित करना कि भोजन साफ सफाई से तैयार हो एवं बच्चे के लिए सुरक्षित भी हो। यह भी सुनिश्चित करना कि वार्ड में बच्चे को कोई भी अन्य खाद्य सामग्री न दी जाये।

- बच्चों की मांताओं को पोषक आहार बनाने की विधि प्रदर्शित करें ताकि छुटटी के उपरान्त मांतायें अपने घर में भी बच्चे को पोषित आहार दे सकें।
- रसोईया अपनी डूयूटी के पश्चात बच्चों को दिये जाने वाले आहार की व्यवस्था के बारे में डूयूटी स्टॉफ नर्स को सूचित करेगा।
- रसोईया एवं केयर टेकर को आपस में सामंजस्य स्थापित कर माँ एवं परिजन के आहार की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना है।
- सभी माताओ को अपने द्वारा इस्तेमाल किये गये बर्तनों को स्वयं धोने के लिये प्रोत्साहिल करना।

e– केयर टेकर के कार्य एवं दायित्व :–

- वार्ड, स्नान गृह, रसोई एवं भोजन करने के स्थान की साफ सफाई सुनिश्चित करना। प्रत्येक बच्चे, उसके माता–पिता एवं अभिभावक की व्यक्तिगत साफ–सफाई सुनिश्चित करना।
- रसोइया को सभी बच्चों को आहार/भोजन वितरण करने में मदद करना।
- सुनिश्चित करना कि प्रत्येक मां अपने बच्चे को सभी भोजन खिलाएं एवं इसकी जानकारी आहार तालिका में नियमित रूप से दर्ज हो जाए।
- प्रत्येक बच्चे का मनो–सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हें खेलकूद में व्यस्त करना, उनसे बातचीत करना एवं उनकी माताओं को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- आवश्यकता अनुसार बच्चों को भोजन देने एवं उनके आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु माताओं को जानकारी देना।

f– सफाई कर्मी के कार्य एवं दायित्व :–

- एन0आर0सी0 वार्ड की रसोई, बच्चों के प्ले एरिया एवं शौचालय की नियमित साफ सफाई करेगें। सफाई कर्मी को सफाई की उपयोगिता के महत्व की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाय। कूड़े का निस्तारण करने हेतु मानकों के अनुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चत की जाय।
- सफाई कर्मी को वार्ड के मानकों के अनुसार कूड़ा निस्तारण के बारें में प्रशिक्षित किया जाय प्रशिक्षित कर्मी वार्ड में भर्ती मरीजों के माता पिता को सफाई एवं संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी देना एवं जागरूक करना।

5– गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की भर्ती के मानक (निम्न में से कोई एक मानक)–

बच्चों के भर्ती के मानक	
6 माह से 59 माह	1–बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न– (–3) एस0डी0 से कम
	2–बच्चे की मिड अपर आर्म का माप– 11.5 से0मी0 से कम
	3–बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा।
6 माह से कम उम्र के बच्चों	1–बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न– (–3) एस0डी0 से कम (45 सेन्टी मीटर से अधिक के लिये)
	2–बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा।
	3–देखने में अति गंभीर कुपोषित (45 सेन्टीमीटर से कम के लिये)

गंभीर कुपोषित बच्चों में कभी कभी अन्य जटिलताये हो सकती है उन्हें प्राथमिकता के अनुसार उपचार हेतु भर्ती किया जाय।

नोट:–

1. सामान्यतः कुपोषित बच्चों को 10–15 दिन तक भर्ती रखा जायेगा परन्तु यदि बच्चे में मानक के अनुसार सुधार नहीं हुआ है अथवा कोई अन्य जटिलता है तो बच्चे को चिकित्सक की सलाह से 4 सप्ताह तक भर्ती रखा जा सकता है ऐसे बच्चों की केस सीट आडिट हेतु सुरक्षित रखी जाय। जो बच्चे दो सप्ताह के उपरान्त भी केंद्र मे भर्ती रहेंगे उनको यथावत धनराशी देय होगी।
2. आंगनवाड़ी द्वारा नये डब्लू0एच0ओ0 ग्रोथ चार्ट द्वारा चिन्हित गंभीर अल्प वज़न वाले बच्चों में से केवल उन्हीं बच्चों की भर्ती की जायेगी जिनका "मिड अपर आर्म सर्कमफियरेन्स' (MUAC) 11.5 से.मी. से कम होगा एवं पैरों में पिटिंग सूजन होगी।

Aw

3. चिन्हित बच्चों में से ए0एन0एम0/आशा/ऑगनवाड़ी बच्चे को भर्ती कराने से पहले (MUAC) 11.5 से.मी. से कम एवं पैरों में पिटिंग सूजन की जॉच कर लेने की जानकारी अवश्य दी जाय।

6– बच्चों के छुट्टी के मानक:–

- वज़न में 15 प्रतिशत की वृद्धि।
- 5 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति दिन की वृद्धि लगातार 3 दिन।
- बच्चे की भूख वापस आना।
- शरीर पर सूजन न होना,
- बच्चे के अन्य बीमारी के लक्षण के उपचार हो जाने पर।

7– कुपोषित बच्चों के उपचार के उपरान्त फॉलोअप :–

- पोषण पुनर्वास केन्द्र के उपचार के उपरान्त 2 माह में 4 बार फॉलोअप 15 दिन के अन्तराल पर किया जाना है। छुट्टी के समय डिस्चार्ज टिकट पर फॉलोअप की दिनांक अंकित की जाय तथा मां को इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय।
- किसी भी फॉलोअप के दौरान अगर बच्चे का **weight-for-height/length SD score-1SD** अथवा **MUAC** 12.5 cm या उससे अधिक हो तो बच्चे को आगामी फॉलोअप विजिट से छूट दी जा सकती है।
- सप्ताह में बच्चों के फॉलोअप के लिये 2 दिन निश्चित किये जाये तथा छुट्टी के समय मां को इन दिनों की जानकारी लिखित एवं मौखिक रूप से दी जाय।

8– रिपोर्ट का प्रेषण:–

पत्र के साथ मासिक एवं त्रैमासिक भौतिक प्रगति के प्रेषण हेतु प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। प्रत्येक माह भौतिक प्रगति रिपोर्ट आगमी माह की 7 तारीख तक मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक के कार्यालय को भेजी जाय। बच्चे की विस्तृत कम्प्यूटराइज्ड रिपोर्ट भी प्रत्येक माह तैयार की जाय। रिपोर्ट, तैयार करने की जिम्मेदारी न्यूट्रीशनिस्ट एवं स्टाफ नर्स की होगी। रिपोर्ट, मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक के कार्यालय को भेजने की जिम्मेदारी चिकित्सक की होगी।

9– कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

पोषण पुर्नवास केन्द्र पर अति कुपोषित बच्चे की भर्ती के मानक तथा छुट्टी के मानक एवं दी जाने वाल सुविधाओं की जानकारी (प्रोटो टाइप संलग्न) व पारिदर्शिता के लिये 2 फीट चौड़ी व 3 फीट लम्बाई के अलग अलग फ्लैक्स बैनर बनवा कर लगवाये जाये अथवा वाल पेन्टिंग पोषण पुनर्वास केन्द्र के बाहर एवं अन्दर कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। अति कुपोषित बच्चे की भर्ती के मानक तथा छुट्टी के मानकों को आंगनवाड़ी/आशाओं को बताया जाये। पोषण पुर्नवास केन्द्र की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकरी द्वारा समय समय पर केन्द्र का अनुश्रवण करेंगे। परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा भी औचक निरीक्षण किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/NRC / 18–4 / 2016–17 / दिनांक / 09 / 2016

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. **सम्बन्धित मण्डलायुक्त,** उत्तर प्रदेश।
4. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा एन0आर0सी0 की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
5. **महानिदेशक,** राज्य पोषण मिशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6. **महानिदेशक, चिकित्सा** शिक्षा, जवाहर भवन लखनऊ।
7. **निदेशक,** आई0सी0डी0एस0, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. **सम्बन्धित जिलाधिकारी** / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति।
9. **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
10. **संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
11. **कुलपति,** अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
12. **प्रधानाचार्य,** एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद / जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर / बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर / आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झाँसी।
13. **विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग,** कोऑर्डिनेटर, एन0आर0सी0 जे0एन0 मेडीकल कॉलेज अलीगढ, एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर, बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झाँसी को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
14. **सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,** जिला पुरूष चिकित्सालय को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
15. **प्रभारी / चिकित्सा अधीक्षक,** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, तालबेहट, मेहरौनी, मढावरा, बिरघा, बार, जखोरा को इस आश्य के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
16. **सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय** कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि वे जिला परियोजना अधिकारी एवं जनपद के उल्लेखित पृष्ठांकित अधिकारियों को एक प्रति उपलब्ध करा दें।
17. **न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट,** यूनिसेफ, बी–3 / 258, विशालखन्ड, गोमतीनगर, उ0प्र0 लखनऊ।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

क्र0सं0	पोषण पुनर्वास केन्द्र पर दी जाने वाली सुविधाये।
1	पोषण पुनर्वास केन्द्र पर भर्ती योग्य बच्चे को निशुल्क भर्ती किया जाता है।
2	बच्चे के खाने की व्यवस्था चिकित्सक की सलाह के अनुसार दी जाती है जो निशुल्क है।
3	पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चे की माँ/परिजन को निशुल्क आहार उपलब्ध कराया जाता है।
4	102 एम्बुलेंस से केन्द्र में बच्चों को लाने और छोड़ने की सुविधा निशुल्क दी जाती है।
3	बच्चे को दी जाने वाली आवश्यक दवायें निशुल्क है।
4	भर्ती के दौरान बच्चे की माँ को रू0 50 प्रति दिन के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाता है।
5	आशा/ऑगनवाड़ी यदि भर्ती होने योग्य बच्चे को साथ लाती है तो आशा / ऑगनवाड़ी को रू0 50 प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है। आशा/ऑगनवाड़ी द्वारा डिस्चार्ज के पश्चात बच्चे के 4 फॉलोअप कराने पर अतिरिक्त रू0 100/– प्रति बच्चा दिया जायेगा।
6	बच्चे को चिकित्सक की सलाह के अनुसार फॉलोअप के लिये बताये गये समय पर कम से कम 4 बार दिखाना चाहिये।
7	बच्चे को फॉलोअप के लिये लाने पर माँ को एक दिन का दैनिक भत्ता रू0 100 एवं प्रति बच्चे को खाने के लिए अतिरिक्त रू0 40/– प्रति बच्चे दिया जायेगा।
8	चिकित्सक की सलाह के बिना बच्चे को घर ले जाने पर कोई धनराशि देय नहीं है।
9	किसी शिकायत के लिये चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से सम्पर्क करें अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 180 1900 पर अपनी शिकायत दर्ज करायें।

<u>नोट</u>– ऊपर दी गयी तालिका को जन समुदाय की जानकारी व पारदर्शिता के लिये 2 फीट चौडे व 3 फीट लम्बे फ्लैक्स बैनर बनवाकर 1 पोषण पुनर्वास केन्द्र के बाहर तथा 1 केन्द्र के अन्दर लगवाना सुनिश्चित किया जाय अथवा वाल पेन्टिंग करायी जाय।

District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2016-17

S.N	Name of Districts	S.N.	Name of Unit	Operational cost: Operational Cost	Staff Nurse: Old, SNs @19060/Month for 9 months	Staff Nurse: New, SNs @18150 per Month for 3 months	Staff Nurse: 5% increment for Old SNs for 9 months	Staff Nurse: Total Honorarium of Staff Nurse	Staff Nurse: Total Honorarium old & new of Staff Nurse + 5% increment for old SN (4+5)	Medical officer: Old, MO @41580 per Month for 9 months	Medical officer: New, Mo@39600 Per Month for 3 months	Medical officer: 5% increment for Old MO for 9 months	Medical officer: Total Honorarium of MO	Medical officer: Total Honorarium old & new of MO + 5% increment for old MO (9+10)	Nutitionist/ FD: Old, Nutrist. @17325 per Month for 9 months	Nutitionist/ FD: New, Nutrist. @16500 per Month for 3 months	Nutitionist/ FD: 5% increment for Old Nutitionist/ FD for 9 months	Nutitionist/ FD: Total Honorarium of Nutritionist	Nutitionist/ FD: Total Honorarium old & new of Nutrist. + 5% increment for old Nutrist. (14+15)
			FMR Code	A.2.5	A.8.1.1.2.f					A.8.1.5.6					A.8.1.7.5.4				
			Col. No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Aligarh	1	Aligarh Medi. Coll	780000	4	0	34308	686160	720468	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
2	Allahabad	2	Allahabad, Medi. Coll	780000	4	0	34308	686160	720468	1	0	18711	374220	392931	1	0	7796	155925	163721
3	Gorakhpur	3	Gorakhpur, Medi. Coll	780000	4	0	34308	686160	720468	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
4	Jhansi	4	Jhansi Medi. Coll.	780000	4	0	34308	686160	720468	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
5	Kanpur	5	Kanpur Medi. Coll	780000	3	1	25731	569070	594801	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
6	Agra	6	Agra	780000	4	0	34308	686160	720468	1	0	18711	374220	392931	1	0	7796	155925	163721
7	Azamgarh	7	Azamgarh	780000	4	0	34308	686160	720468	1	0	18711	374220	392931	1	0	7796	155925	163721
8	Badaun	8	Badaun	780000	4	0	34308	686160	720468	1	0	18711	374220	392931	0	1	0	49500	49500
9	Baghpat	9	Bagpat	780000	4	0	34308	686160	720468	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
10	Bahraich	10	Bahraich	780000	4	0	34308	686160	720468	1	0	18711	374220	392931	1	0	7796	155925	163721
11	Balrampur	11	Balrampur	780000	4	0	34308	686160	720468	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
12	Banda	12	Banda	780000	4	0	34308	686160	720468	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
13	Barabanki	13	Barabanki	780000	4	0	34308	686160	720468	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
14	Bareilly	14	Bareilly	780000	4	0	34308	686160	720468	1	0	18711	374220	392931	1	0	7796	155925	163721
15	Bijnor	15	Bijnor	780000	4	0	34308	686160	720468	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
16	Chitrakoot	16	Chitrakoot	780000	3	1	25731	569070	594801	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
17	Deoria	17	Deoria	780000	0	4	0	217800	217800	0	1	0	118800	118800	0	1	0	49500	49500
18	Etah	18	Etah	780000	4	0	34308	686160	720468	1	0	18711	374220	392931	1	0	7796	155925	163721
19	Etawah	19	Etawah	780000	4	0	34308	686160	720468	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
20	Farrukhabad	20	Farrukhabad	780000	3	1	25731	569070	594801	1	0	18711	374220	392931	1	0	7796	155925	163721

Bvy

District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2016-17

S. N	Name of Districts	S.N.	Name of Unit	Operational cost: Operational Cost	Staff Nurse: Old, SNs @19060/Month for 9 months	Staff Nurse: New, SNs @18150 per Month for 3 months	Staff Nurse: 5% increment for Old SNs for 9 months	Staff Nurse: Total Honorarium of Staff Nurse	Staff Nurse: Total Honorarium old & new of Staff Nurse + 5% increment for old SN (4+5)	Medical officer: Old, MO @41580 per Month for 9 months	Medical officer: New, Mo@39600 Per Month for 3 months	Medical officer: 5% increment for Old MO for 9 months	Medical officer: Total Honorarium of MO	Medical officer: Total Honorarium old & new of MO + 5% increment for old MO (9+10)	Nutitionist/ FD: Old, Nutrist. @17325 per Month for 9 months	Nutitionist/ FD: New, Nutrist. @16500 per Month for 3 months	Nutitionist/ FD: 5% increment for Old Nutitionist/ FD for 9 months	Nutitionist/ FD: Total Honorarium of Nutritionist	Nutitionist/ FD: Total Honorarium old & new of Nutrist. + 5% increment for old Nutrist. (14+15)
			FMR Code	A.2.5	A.8.1.1.2.f					A.8.1.5.6					A.8.1.7.5.4				
			Col. No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Faizabad	21	Faizabad	**390000**	0	4	0	217800	**217800**	0	1	0	118800	**118800**	0	1	0	49500	**49500**
22	Gonda	22	Gonda	**780000**	3	1	25731	569070	**594801**	1	0	18711	374220	**392931**	1	0	7796	155925	**163721**
23	Hardoi	23	Hardoi	**780000**	4	0	34308	686160	**720468**	0	1	0	118800	**118800**	1	0	7796	155925	**163721**
24	Kannauj	24	Kannauj	**780000**	4	0	34308	686160	**720468**	1	0	18711	374220	**392931**	1	0	7796	155925	**163721**
25	Kaushambi	25	Kaushambi	**780000**	3	1	25731	569070	**594801**	0	1	0	118800	**118800**	1	0	7796	155925	**163721**
26	Lakhimpur	26	Lakhimpur Kheri	**780000**	4	0	34308	686160	**720468**	0	1	0	118800	**118800**	1	0	7796	155925	**163721**
27	Maharajganj	27	Maharajganj	**780000**	4	0	34308	686160	**720468**	1	0	18711	374220	**392931**	1	0	7796	155925	**163721**
28	Mirzapur	28	Mirzapur	**780000**	0	4	0	217800	**217800**	1	0	18711	374220	**392931**	1	0	7796	155925	**163721**
29	Pilibhit	29	Pilibhit	**780000**	3	1	25731	569070	**594801**	1	0	18711	374220	**392931**	1	0	7796	155925	**163721**
30	Pratapgarh	30	Pratapgarh	**780000**	4	0	34308	686160	**720468**	1	0	18711	374220	**392931**	1	0	7796	155925	**163721**
31	Raebareli	31	Raebareli	**780000**	4	0	34308	686160	**720468**	1	0	18711	374220	**392931**	1	0	7796	155925	**163721**
32	Rampur	32	Rampur	**780000**	4	0	34308	686160	**720468**	1	0	18711	374220	**392931**	1	0	7796	155925	**163721**
33	Sant Kabir	33	Sant Kabir Nagar	**780000**	4	0	34308	686160	**720468**	0	1	0	118800	**118800**	1	0	7796	155925	**163721**
34	Shahjahanpur	34	Shahjahanpur	**780000**	4	0	34308	686160	**720468**	0	1	0	118800	**118800**	1	0	7796	155925	**163721**
35	Shrawasti	35	Shrawasti	**780000**	4	0	34308	686160	**720468**	0	1	0	118800	**118800**	1	0	7796	155925	**163721**
36	Sitapur	36	Sitapur	**780000**	4	0	34308	686160	**720468**	1	0	18711	374220	**392931**	1	0	7796	155925	**163721**
37	Sidharth Nagar	37	Sidharth Nagar	**390000**	0	4	0	217800	**217800**	0	1	0	118800	**118800**	0	1	0	49500	**49500**
38	Sonbhadra	38	Sonbhadra	**780000**	4	0	34308	686160	**720468**	1	0	18711	374220	**392931**	1	0	7796	155925	**163721**
39	Unnnao	39	Unnnao	**780000**	4	0	34308	686160	**720468**	1	0	18711	374220	**392931**	1	0	7796	155925	**163721**
40	Varanasi	40	Varanasi	**780000**	4	0	34308	686160	**720468**	1	0	18711	374220	**392931**	1	0	7796	155925	**163721**

District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2016-17

S. N	Name of Districts	S.N.	Name of Unit	Operational cost	Staff Nurse					Medical officer					Nutitionist/ FD				
				Operational Cost	Old, SNs @19060/Month for 9 months	New, SNs @18150 per Month for 3 months	5% increment for Old SNs for 9 months	Total Honorarium of Staff Nurse	Total Honorarium old & new of Staff Nurse + 5% increment for old SN (4+5)	Old, MO @41580 per Month for 9 months	New, Mo@39600 Per Month for 3 months	5% increment for Old MO for 9 months	Total Honorarium of MO	Total Honorarium old & new of MO + 5% increment for old MO (9+10)	Old, Nutrist. @17325 per Month for 9 months	New, Nutrist. @16500 per Month for 3 months	5% increment for Old Nutitionist/ FD for 9 months	Total Honorarium of Nutritionist	Total Honorarium old & new of Nutrist. + 5% increment for old Nutrist. (14+15)
			FMR Code	A.2.5	A.8.1.1.2.f					A.8.1.5.6					A.8.1.7.5.4				
			Col. No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	Lalitpur	41	Lalitpur DH	780000	4	0	34308	686160	720468	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
		42	Baar CHC	780000	3	0	25731	514620	540351	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
		43	Birdha CHC	780000	3	0	25731	514620	540351	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
		44	Mehrauni CHC	780000	3	0	25731	514620	540351	1	0	18711	374220	392931	1	0	7796	155925	163721
		45	Madawara CHC	780000	3	0	25731	514620	540351	1	0	18711	374220	392931	1	0	7796	155925	163721
		46	Jakhora CHC	780000	3	0	25731	514620	540351	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
		47	Talbhet CHC	780000	3	0	25731	514620	540351	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
42	Kasganj	48	Kasganj	780000	0	4	0	217800	217800	0	1	0	118800	118800	0	1	0	49500	49500
43	Amroha	49	Amroha	780000	4	0	34308	686160	720468	1	0	18711	374220	392931	1	0	7796	155925	163721
44	Bhadohi	50	Bhadohi	780000	4	0	34308	686160	720468	0	1	0	118800	118800	0	1	0	49500	49500
45	Lucknow	51	Lucknow	780000	4	0	34308	686160	720468	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
46	Mainpuri	52	Mainpuri	780000	4	0	34308	686160	720468	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
47	Mathura	53	Mathura	780000	4	0	34308	686160	720468	1	0	18711	374220	392931	1	0	7796	155925	163721
48	Meerut	54	Meerut	780000	4	0	34308	686160	720468	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
49	Mohaba	55	Mohaba	780000	4	0	34308	686160	720468	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
50	Moradabad	56	Moradabad	780000	4	0	34308	686160	720468	1	0	18711	374220	392931	1	0	7796	155925	163721
51	Muzaffar N...	57	Muzaffar Nagar	780000	4	0	34308	686160	720468	0	1	0	118800	118800	0	1	0	49500	49500
52	Sultanpur	58	Sultanpur	390000	0	4	0	217800	217800	0	1	0	118800	118800	0	1	0	49500	49500
53	Ambedkarnagar	59	Ambedkarnagar	780000	0	4	0	217800	217800	0	1	0	118800	118800	0	1	0	49500	49500
54	Ballia	60	Ballia	780000	0	4	0	217800	217800	0	1	0	118800	118800	0	1	0	49500	49500

District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2016-17

S. N	Name of Districts	S.N.	Name of Unit	Operational cost	Staff Nurse					Medical officer					Nutitionist/ FD				
				Operational Cost	Old, SNs @19060/Month for 9 months	New, SNs @18150 per Month for 3 months	5% increment for Old SNs for 9 months	Total Honorarium of Staff Nurse	Total Honorarium old & new of Staff Nurse + 5% increment for old SN (4+5)	Old, MO @41580 per Month for 9 months	New, Mo@39600 Per Month for 3 months	5% increment for Old MO for 9 months	Total Honorarium of MO	Total Honorarium old & new of MO + 5% increment for old MO (9+10)	Old, Nutrist. @17325 per Month for 9 months	New, Nutrist. @16500 per Month for 3 months	5% increment for Old Nutitionist/ FD for 9 months	Total Honorarium of Nutritionist	Total Honorarium old & new of Nutrist. + 5% increment for old Nutrist. (14+15)
			FMR Code	A.2.5	A.8.1.1.2.f					A.8.1.5.6					A.8.1.7.5.4				
			Col. No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	Basti	61	Basti	780000	0	4	0	217800	217800	0	1	0	118800	118800	0	1	0	49500	49500
56	Bulandshahar	62	Bulandshahar	780000	4	0	34308	686160	720468	1	0	18711	374220	392931	1	0	7796	155925	163721
57	Chandauli	63	Chandauli	780000	0	4	0	217800	217800	0	1	0	118800	118800	0	1	0	49500	49500
58	Fatehpur	64	Fatehpur	780000	4	0	34308	686160	720468	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
59	Ferozabad	65	Ferozabad	780000	4	0	34308	686160	720468	1	0	18711	374220	392931	1	0	7796	155925	163721
60	G. B.Nagar	66	G. B.Nagar	780000	2	2	17154	451980	469134	0	1	0	118800	118800	1	0	7796	155925	163721
61	Ghaziabad	67	Ghaziabad	390000	0	4	0	217800	217800	0	1	0	118800	118800	0	1	0	49500	49500
62	Ghazipur	68	Ghazipur	390000	0	4	0	217800	217800	0	1	0	118800	118800	0	1	0	49500	49500
63	Hamirpur	69	Hamirpur	780000	0	4	0	217800	217800	0	1	0	118800	118800	0	1	0	49500	49500
64	Hathras	70	Hathras	780000	0	4	0	217800	217800	0	1	0	118800	118800	0	1	0	49500	49500
65	Jalaun	71	Jalaun	390000	0	4	0	217800	217800	0	1	0	118800	118800	0	1	0	49500	49500
66	Jaunpur	72	Jaunpur	390000	0	4	0	217800	217800	0	1	0	118800	118800	0	1	0	49500	49500
67	Kanpur Dehat	73	Kanpur Dehat	780000	0	4	0	217800	217800	0	1	0	118800	118800	0	1	0	49500	49500
68	Kushinagar	74	Kushinagar	390000	0	4	0	217800	217800	0	1	0	118800	118800	0	1	0	49500	49500
69	Mau	75	Mau	780000	0	4	0	217800	217800	0	1	0	118800	118800	0	1	0	49500	49500
70	Saharanpur	76	Saharanpur	780000	4	0	34308	686160	720468	1	0	18711	374220	392931	1	0	7796	155925	163721
Total Amount				56160000	214	84	1835478	41283360	43118838	28	48	523908	16180560	16704468	55	21	428794	9615375	10044168.8
Amount in Lacs				561.60			18.35	412.83	431.19	76		5.24	161.81	167.04	76		4.29	96.15	100.44

District wise Funds for Nutritional Rehabilitation Center (NRC) 2016-17

S. N	Name of Districts	S.N.	Name of Unit	Cook: Old, Cook @7500 per Month for 9 months	Cook: New, Cook @7500 per Month for 3 months	Cook: Total Honorarium of Cook	Caretaker: Old, Caretaker @6400 per Month for 9 months	Caretaker: New, Caretaker @6400 per Month for 3 months	Caretaker: Total Honorarium of Caretaker	Cleaner: Old, Cleaner @6400 per Month for 9 months	Cleaner: New, Cleaner @6400 per Month for 3 months	Cleaner: Total Honorarium of Cleaner	Procurement of NRC Computer/Printer/UPS/Data Card @ Rs. 60000/NRC	ASHA/AWW Incentive: Rs. 50/- Unit Cost per Child referral	ASHA/AWW Incentive: Total fund for 4 followup of SAM Children @ Rs. 100/-	Total funds released to DHS (Amount in Rs)
			FMR Code	A.8.1.11.f			A.8.1.11.f			A.8.1.11.f			B16.1.2.7	B1.1.3.2.4	B1.1.3.2.5	
			Col. No.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	Aligarh	1	Aligarh Medi. Coll	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2061689
2	Allahabad	2	Allahabad, Medi. Coll	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2335820
3	Gorakhpur	3	Gorakhpur, Medi. Coll	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2061689
4	Jhansi	4	Jhansi Medi. Coll.	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2061689
5	Kanpur	5	Kanpur Medi. Coll.	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	1936022
6	Agra	6	Agra	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2335820
7	Azamgarh	7	Azamgarh	1	0	67500	1	0	57600	0	1	19200	60000	12000	24000	2297420
8	Badaun	8	Badaun	1	0	67500	1	0	57600	0	1	19200	60000	12000	24000	2183199
9	Baghpat	9	Bagpat	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2061689
10	Bahraich	10	Bahraich	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2335820
11	Balrampur	11	Balrampur	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2061689
12	Banda	12	Banda	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2061689
13	Barabanki	13	Barabanki	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2061689
14	Bareilly	14	Bareilly	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2335820
15	Bijnor	15	Bijnor	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2061689
16	Chitrakoot	16	Chitrakoot	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	1936022
17	Deoria	17	Deoria	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	1323000
18	Etah	18	Etah	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2335820
19	Etawah	19	Etawah	1	0	67500	1	0	57600	0	1	19200	60000	12000	24000	2023289
20	Farrukhabad	20	Farrukhabad	1	0	67500	1	0	57600	0	1	19200	60000	12000	24000	2171753

District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2016-17

S. N	Name of Districts	S.N.	Name of Unit	Cook: Old, Cook @7500 per Month for 9 months	Cook: New, Cook @7500 per Month for 3 months	Cook: Total Honorarium of Cook	Caretaker: Old, Caretaker @6400 per Month for 9 months	Caretaker: New, Caretaker @6400 per Month for 3 months	Caretaker: Total Honorarium of Caretaker	Cleaner: Old, Cleaner @6400 per Month for 9 months	Cleaner: New, Cleaner @6400 per Month for 3 months	Cleaner: Total Honorarium of Cleaner	Procurement of NRC Computer/Printer/UPS/Data Card @ Rs. 60000/NRC	ASHA/AWW Incentive: Rs. 50/- Unit Cost per Child referral	ASHA/AWW Incentive: Total fund for 4 followup of SAM Children @ Rs. 100/-	Total funds released to DHS (Amount in Rs)
			FMR Code	A.8.1.11.f			A.8.1.11.f			A.8.1.11.f			B16.1.2.7	B1.1.3.2.4	B1.1.3.2.5	
			Col. No.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
21	Faizabad	21	Faizabad	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	933000
22	Gonda	22	Gonda	1	0	67500	1	0	57600	0	1	19200	60000	12000	24000	2171753
23	Hardoi	23	Hardoi	1	0	67500	1	0	57600	0	1	19200	60000	12000	24000	2023289
24	Kannauj	24	Kannauj	1	0	67500	1	0	57600	0	1	19200	60000	12000	24000	2297420
25	Kaushambi	25	Kaushambi	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	1936022
26	Lakhimpur Kheri	26	Lakhimpur Kheri	1	0	67500	1	0	57600	0	1	19200	60000	12000	24000	2023289
27	Maharajganj	27	Maharajganj	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2335820
28	Mirzapur	28	Mirzapur	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	1833152
29	Pilibhit	29	Pilibhit	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2210153
30	Pratapgarh	30	Pratapgarh	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2335820
31	Raebareli	31	Raebareli	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2335820
32	Rampur	32	Rampur	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2335820
33	Sant Kabir Nagar	33	Sant Kabir Nagar	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2061689
34	Shahjahanpur	34	Shahjahanpur	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2061689
35	Shrawasti	35	Shrawasti	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2061689
36	Sitapur	36	Sitapur	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2335820
37	Sidharth Nagar	37	Sidharth Nagar	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	933000
38	Sonbhadra	38	Sonbhadra	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2335820
39	Unnnao	39	Unnnao	1	0	67500	1	0	57600	0	1	19200	60000	12000	24000	2297420
40	Varanasi	40	Varanasi	1	0	67500	1	0	57600	0	1	19200	60000	12000	24000	2297420

District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2016-17

S. N	Name of Districts	S.N.	Name of Unit	Cook: Old, Cook @7500 per Month for 9 months	Cook: New, Cook @7500 per Month for 3 months	Cook: Total Honorarium of Cook	Caretaker: Old, Caretaker @6400 per Month for 9 months	Caretaker: New, Caretaker @6400 per Month for 3 months	Caretaker: Total Honorarium of Caretaker	Cleaner: Old, Cleaner @6400 per Month for 9 months	Cleaner: New, Cleaner @6400 per Month for 3 months	Cleaner: Total Honorarium of Cleaner	Procurement of NRC Computer/Printer/UPS/Data Card @ Rs. 60000/NRC	ASHA/AWW Incentive: Rs. 50/- Unit Cost per Child referral	ASHA/AWW Incentive: Total fund for 4 followup of SAM Children @ Rs. 100/-	Total funds released to DHS (Amount in Rs)
			FMR Code	A.8.1.11.f			A.8.1.11.f			A.8.1.11.f			*B16.1.2.7*	*B1.1.3.2.4*	*B1.1.3.2.5*	
			Col. No.	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	
41	Lalitpur	41	Lalitpur DH	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2061689
		42	Baar CHC	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	7200	14400	1867172
		43	Birdha CHC	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	7200	14400	1867172
		44	Mehrauni CHC	1	0	67500	1	0	57600	0	1	19200	60000	7200	14400	2102903
		45	Madawara CHC	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	7200	14400	2141303
		46	Jakhora CHC	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	7200	14400	1867172
		47	Talbhet CHC	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	7200	14400	1867172
42	Kasganj	48	Kasganj	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	1323000
43	Amroha	49	Amroha	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2335820
44	Bhadohi	50	Bhadohi	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	1825668
45	Lucknow	51	Lucknow	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2061689
46	Mainpuri	52	Mainpuri	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2061689
47	Mathura	53	Mathura	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2335820
48	Meerut	54	Meerut	1	0	67500	1	0	57600	0	1	19200	60000	12000	24000	2023289
49	Mohaba	55	Mohaba	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2061689
50	Moradabad	56	Moradabad	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2335820
51	Muzaffar N	57	Muzaffar Nagar	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	1947468
52	Sultanpur	58	Sultanpur	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	933000
53	Ambedkarnagar	59	Ambedkarnagar	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	1323000
54	Ballia	60	Ballia	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	1323000

(7)

District wise Funds for Nutritional Rehablitation Center (NRC) 2016-17

S. N	Name of Districts	S.N.	Name of Unit	Cook: Old, Cook @7500 per Month for 9 months	Cook: New, Cook @7500 per Month for 3 months	Cook: Total Honorarium of Cook	Caretaker: Old, Caretaker @6400 per Month for 9 months	Caretaker: New, Caretaker @6400 per Month for 3 months	Caretaker: Total Honorarium of Caretaker	Cleaner: Old, Cleaner @6400 per Month for 9 months	Cleaner: New, Cleaner @6400 per Month for 3 months	Cleaner: Total Honorarium of Cleaner	Procurement of NRC Computer/Printer/UPS/Data Card @ Rs. 60000/NRC	ASHA/AWW Incentive: Rs. 50/- Unit Cost per Child referral	ASHA/AWW Incentive: Total fund for 4 followup of SAM Children @ Rs. 100/-	Total funds released to DHS (Amount in Rs)
			FMR Code	A.8.1.11.f			A.8.1.11.f			A.8.1.11.f			B16.1.2.7	B1.1.3.2.4	B1.1.3.2.5	
			Col. No.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
55	Basti	61	Basti	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	1323000
56	Bulandshahar	62	Bulandshahar	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2335820
57	Chandauli	63	Chandauli	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	1323000
58	Fatehpur	64	Fatehpur	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	2061689
59	Ferozabad	65	Ferozabad	1	0	67500	1	0	57600	0	1	19200	60000	12000	24000	2297420
60	G. B.Nagar	66	G. B.Nagar	1	0	67500	1	0	57600	1	0	57600	60000	12000	24000	1810355
61	Ghaziabad	67	Ghaziabad	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	933000
62	Ghazipur	68	Ghazipur	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	933000
63	Hamirpur	69	Hamirpur	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	1323000
64	Hathras	70	Hathras	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	1323000
65	Jalaun	71	Jalaun	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	933000
66	Jaunpur	72	Jaunpur	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	933000
67	Kanpur Dehat	73	Kanpur Dehat	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	1323000
68	Kushinagar	74	Kushinagar	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	933000
69	Mau	75	Mau	0	1	22500	0	1	19200	0	1	19200	60000	12000	24000	1323000
70	Saharanpur	76	Saharanpur	1	0	67500	1	0	57600	0	1	19200	60000	12000	24000	2297420
Total Amount				57	19	4275000	57	19	3648000	43	33	3110400	4560000	883200	1766400	144270475
Amount in Lacs				76		42.75	76		36.48	76		31.10	45.60	8.83	17.66	1442.70

Incentive for Referral & Follow up of discharge SAM Children from NRCs for Year 2016-17											
S.N.	Name of district	Name of Unit	no. of NRC	Funds for No. of months	Cases per month/ NRC	No of Cases per year/ per NRC	Rs. 50/- Unit Cost per Child referral	Total Funds for referral in NRC	Total fund for 4 followup of SAM Children @ Rs. 100/-	Total funds for 4 follow up of NRC	Total Fund released to DHS
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	
FMR code							*B1.1.3.2.4*		*B1.1.3.2.5*		
1	Jhansi	Jhansi	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
2	Gorakhpur	Gorakhpur	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
3	Aligarh	Aligarh	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
4	Kanpur Nagar	Kanpur Nagar	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
5	Allahabad	Allahabad	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
6	Pilibhit	Pilibhit	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
7	Shahjahanpur	Shahjahanpur	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
8	Hardoi	Hardoi	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
9	Raebareli	Raebareli	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
10	Unnao	Unnao	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
11	Maharajganj	Maharajganj	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
12	Farrukhabad	Farrukhabad	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
13	Kannauj	Kannauj	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
14	Banda	Banda	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
15	ChitraKoot	ChitraKoot	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
16	Pratapgarh	Pratapgarh	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
17	Sonbhadra	Sonbhadra	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
18	Lalitpur	Lalitpur	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
		Birdha	1	12	12	144	50	7200	100	14400	21600
		Madawara	1	12	12	144	50	7200	100	14400	21600
		Talbehat	1	12	12	144	50	7200	100	14400	21600
		Mehrauni	1	12	12	144	50	7200	100	14400	21600
		Bar	1	12	12	144	50	7200	100	14400	21600
		Jakohra	1	12	12	144	50	7200	100	14400	21600
19	Kheri	Kheri	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
20	Gonda	Gonda	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
21	Shrawasti	Shrawasti	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
22	Faizabad	Faizabad	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
23	Varanasi	Varanasi	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
24	Siddharth Nagar	Siddharth Nagar	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
25	Bagpat	Bagpat	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
26	Kasganj	Kasganj	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
27	Bahraich	Bahraich	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
28	Balrampur	Balrampur	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
29	Barabanki	Barabanki	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
30	Bareilly	Bareilly	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
31	Badaun	Badaun	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
32	Etah	Etah	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
33	Kaushambi	Kaushambi	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
34	Mirzapur	Mirzapur	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
35	Rampur	Rampur	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
36	Bijnor	Bijnor	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
37	Sant Kabir Nagar	Sant Kabir Nagar	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
38	Sitapur	Sitapur	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000

Incentive for Referral & Follow up of discharge SAM Children from NRCs for Year 2016-17											
S.N.	Name of district	Name of Unit	no. of NRC	Funds for No. of months	Cases per month/ NRC	No of Cases per year/ per NRC	Rs. 50/- Unit Cost per Child referral	Total Funds for referral in NRC	Total fund for 4 followup of SAM Children @ Rs. 100/-	Total funds for 4 follow up of NRC	Total Fund released to DHS
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	
FMR code							*B1.1.3.2.4*		*B1.1.3.2.5*		
39	Agra	Agra	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
40	Azamgarh	Azamgarh	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
41	Etawah	Etawah	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
42	Deoria	Deoria	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
43	J.P Nagar	J.P Nagar	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
44	Meerut	Meerut	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
45	Moradabad	Moradabad	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
46	Lucknow	Lucknow	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
47	Mahoba	Mahoba	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
48	Mainpuri	Mainpuri	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
49	Mathura	Mathura	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
50	Muzzafarnagar	Muzzafarnagar	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
51	Sultanpur	Sultanpur	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
52	Bhadohi	Bhadohi	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
53	Ambedkarnagar	Ambedkarnagar	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
54	Balia	Balia	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
55	Basti	Basti	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
56	Bulandshahar	Bulandshahar	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
57	Chandauli	Chandauli	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
58	Fatehpur	Fatehpur	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
59	Ferozabad	Ferozabad	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
60	G. B.Nagar	G. B.Nagar	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
61	Ghaziabad	Ghaziabad	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
62	Ghazipur	Ghazipur	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
63	Hamirpur	Hamirpur	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
64	Hathras	Hathras	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
65	Jalaun	Jalaun	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
66	Jaunpur	Jaunpur	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
67	Kanpur Dehat	Kanpur Dehat	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
68	Kushinagar	Kushinagar	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
69	Mau	Mau	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
70	Saharanpur	Saharanpur	1	12	20	240	50	12000	100	24000	36000
Total			76					**883200**		**1766400**	**2649600**

(2)

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद–अलीगढ़, इलाहाबाद, गोरखपुर, झॉसी, कानपुर नगर, आगरा, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराईच, बलरामपुर, बांदा, बाराबकीं, बरेली, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फरूर्खाबाद, फैजाबाद, गोण्डा, हरदोई, कन्नौज, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, महारागंज, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संतकबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, उन्नाव, वाराणसी, ललितपुर, कासगंज, अमरोहा, भदोही, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, महोबा, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बलिया, बस्ती, बुलन्दशहर, चन्दौली, फतेहपुर, फिरोजबाद, जी0बी0 नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, मऊ एवं सहारनपुर।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2016–17/ दिनांक 22 /09/2016

विषय– जनपद/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0, स्तर पर "पोषण पुनर्वास केन्द्रों" (NRCs) के संचालन हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में कुपोषण एक गंभीर समस्या है तथा एन0एफ0एच0एस0–।।। के अनुसार 3 वर्ष से कम उम्र के 42 प्रतिशत बच्चों का वज़न अपनी उम्र के हिसाब से कम है और लगभग 5 प्रतिशत बच्चे अति गंभीर रूप से कुपोषित है अर्थात इनका वज़न ऊँचाई के अनुपात में बहुत कम है। कुपोषित बच्चों में मृत्यु की सम्भावना 9 गुना अधिक होती है। कुपोषण की रोक थाम एवं उपचार के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के लिये **पोषण पुनर्वास केन्द्रों** (NRCs) के संचालन हेतु मानव संसाधन के मानदेय एवं आपरेशनल कास्ट हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है इसके उपयोग के सम्बन्ध में दिशानिर्देश निम्नवत है। भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में स्वीकृत धनराशि के दृष्टिगत दिशानिर्देश जारी किये जा रहें है।

पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) की क्रियाशील बनाये रखने तथा इकाईयों को क्रियाशील करने हेतु इस कार्यालय से प्रेषित पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2015–16/7542–42, दिनांक 23.10.2015, पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2015–16/7543–10, दिनांक 23.10.2015 एवं पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/ 18–4/2015–16/7543–10, दिनांक 23.10.2015 उक्त पत्रों के माध्यम से धनराशि एवं विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये थे का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की आर0ओ0पी0 में पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) को क्रियाशील बनाये रखने हेतु आपरेशनल कास्ट एवं मानव संसाधन के मानदेय के लिए अनुमोदित धनराशि जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार जनपदो की जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त की जा रही है।

<u>उद्देश्यः–</u>

- 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों की उचित देखभाल जिससे कि कुपोषण से होने वाले शिशु एवं बाल मृत्युदर में वांछित कमी लाई जा सके।
- अति कुपोषित बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- बच्चे की खान–पान तथा उचित देखभाल में माताओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता को विकसित करना।
- समुदाय को पोषण सम्बन्धी समस्याओं व समाधान के प्रति जागरूक करना।

<u>पोषण पुर्नवास केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली सेवायेः–</u>

1. सैम बच्चों को भर्ती एवं डिस्चार्ज के समय घर छोड़ने का प्रबन्ध 102 एम्बुलेंस के माध्यम से दिया जाता है।
2. भर्ती किये गये कुपोषित बच्चों की चौबीस घन्टे उचित देखभाल।
3. आवश्यक जांच बीमारी एवं जटिलताओं का मानक प्रोटोकाल के अनुरूप चिकित्सकीय उपचार।
4. उपचारात्मक आहार की व्यवस्था।
5. माँ एवं देखभाल करने वाले को उचित खान–पान, साफ सफाई के विषय पर परामर्श देना।
6. माताओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों से कम लागत की पोषण विधियों पर प्रशिक्षित करना।
7. पोषण पुनर्वास केन्द्र में डिस्चार्ज के बाद हर 15 दिन में 2 माह तक 4 बार फॉलोअप करना।
8. माँ को निशुल्क आहार दिया जाता है।

1– वित्त पोषण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में स्वीकृति की गयी धनराशि को निम्ननुसार व्याय किया जाय।

A– ऑपरेशनल कास्ट–

- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये आर0ओ0पी0 में पोषण पुनर्वास केन्द्र को क्रियाशील बनाये रखने एवं गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करने हेतु ऑपरेशनल कास्ट हेतु **FMR Code-A.2.5** पर औषधियों **(चिकित्सालय में नियमित रूप से उपलब्ध औषधियों इलाज के लिये उपलब्ध करायी जायेगीं तथा एन0आर0सी0 प्रोटोकाल के अनुसार यादि कोई औषधि उपलब्ध नहीं है तो नोडल अधिकारी की सलाह से आवश्यकतानुसार औषधि का क्रय किया जाये)** मेडिकल कालेज के नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि EDL में उपलब्ध एन0आर0सी हेतु आवश्यक दवाओं की लिस्ट सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को समय से उपलब्ध करायें। मेडिकल कॉलेजों को EDL के अन्तर्गत उपलब्ध दवाईया एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को मेडिकल कालेजों में संचालित इकाइयों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0) की होगी।
- कन्स्यूमेबल, भर्ती बच्चे के लिये आहार, माँ के लिये दैनिक भत्ता, कन्टीजेन्सी, उपकरणों के रखरखाव/मरम्मत आदि एवं बच्चे के फोलोअप आदि का वहन तालिका–1 में दिये गये मानक के अनुसार व्यय किया जायेगा। जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

Budget for NRCs (2016-17)	
S. N.	**Item**
A	**Operational Cost *(COST OF TREATING 20 CHILDREN PER MONTH)***
1	Food for children @ Rs. 75 per child/day
2	Daily wage compensation Rs. 50 per day and Rs. 50 for mother's food per mother/day
3	Contingency – Gas cylinder, Linen cleaning (Laundry) Phenyl, Soap, Mosquito repellent, Washing powder, etc @ Rs. 2000/month.
4	Maintenance of equipments (based on actual expenditure)and/or Purchase of new Weighing Scale/Infantometer or other ward equipments (only if non-functional or non-repairable and with the consent of the state) (Rs. 20000 for year)
5	Contingency for Miscellaneoues items like for documention (Printing of NRC documents-SAM chart, Discharge ticket, NRC register etc. photographs, photocopying, display board , Wall Painting, Internet connection, phone charges etc. Rs 12000 per year.
6	Medicine and micro nutrient will be used from available govt. supply and drugs which are not available can be Localy purchased.
B	**Cost for each follow up visits (For 4 Follow-ups)**
1	Food for children @ Rs. 40 per child/Follow-up
2	Daily wage compensation for (food for mothers Rs. 100 per mother/day)

B– मानव संसाधन–

- जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा पोषण पुर्नवास केन्द्र के संविदा मानव संसाधन की भर्ती हेतु गठित साक्षात्कार कमेटी में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को भी नामित करना अनिवार्य है।

- पोषण पुनर्वास केन्द्र में संविदा पर कार्यरत स्टाफों को समय एवं अनुशासन से कार्य न करने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अनुशासत्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में कार्यरत संविदा मानव संसाधन का मासिक मानदेय प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से आहरित किया जायेगा।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी मानदेय हेतु आवटिंत धनराशि तत्काल सम्बन्धित जिला चिकित्सालय को स्थान्तरित करना सुनिश्चित करें।
- **पोषण पुनर्वास केन्द्र पर कार्यरत संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु जनपदवार एवं इकाईवार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।**
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0, में कार्यरत एन0आर0सी0 के संविदा चिकित्सा अधिकरियों** के मानदेय हेतु FMR Code A.8.1.5.6 पर प्रति इकाई 1 **चिकित्सा अधिकारी के अनुसार** पूर्व से कार्यरत 28 चिकित्सा अधिकारियों को रू0 41580/– प्रतिमाह की दर से 9 माह के मानदेय देय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है **तथा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्वि दी जायेगी एवं शेष 48 चिकित्सा अधिकारियों** के रू0 39600/– प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0** के संविदा स्टॉफ नर्सों के मानदेय हेतु FMR Code-A.8.1.1.2.f पर पूर्व से कार्यरत 214 स्टाफ नर्सों को रू0 19060/– प्रतिमाह की दर से 9 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है **तथा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्वि दी जायेगी एवं शेष 84 स्टाफ नर्सों** को रू0 18150/– प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत** एन0आर0सी0 के **संविदा** न्यूट्रिशनिस्ट के मानदेय हेतु FMR Code-A.8.1.7.5.4 पर प्रति इकाई 1 न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार पूर्व से कार्यरत 55 न्यूट्रिशनिस्ट को रू0 17325/– प्रतिमाह की दर से 9 माह के मानदेय देय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है **तथा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्वि दी जायेगी एवं शेष 21 न्यूट्रिशनिस्ट** के रू0 16500/– प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0** के संविदा **कुक/रसोईया 1 प्रति इकाई के अनुसार** मानदेय हेतु FMR Code- A.8.1.11.f पर 57 **कुक/रसोईया** को रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से 9 माह एवं 19 **कुक/रसोईया** के रू0 7500/– प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0** के संविदा **केयर टेकर 1 प्रति इकाई के अनुसार** मानदेय हेतु FMR Code- A.8.1.11.f पर 57 **केयर टेकर** को रू0 6400/– प्रतिमाह की दर से 9 माह के मानदेय एवं 19 **केयर टेकर** के रू0 6400/– प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।
- **जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 में कार्यरत एन0आर0सी0** के **सफाई कर्मियों (आउटसोर्सिगं के माध्यम से) के** मानदेय हेतु FMR Code- A.8.1.11.f पर **1 प्रति इकाई के अनुसार** 43 **सफाई कर्मियों** को रू0 6400/– प्रतिमाह की दर से 9 माह के मानदेय एवं 33 **सफाई कर्मियों** के रू0 6400/– प्रतिमाह की दर से 3 माह के मानदेय हेतु संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।

2– गम्भीर रूप से कुपोषित (Severe Acute Malnutrition-SAM) बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर संदर्भित करने तथा फालोअप में लाने पर आशा/आंगनवाडी को प्रतिपूर्ति राशि अनुमोदित की गयी है।

- **<u>आशा एवं आगनवाड़ी (सन्दर्भन–प्रतिपूर्ति राशि) –</u>**भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 की आर0ओ0पी0 के FMR Code- B1.1.3.2.4 पर Severe Acute Malnutrition (SAM) **बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर सन्दर्भन एवं** भर्ती कराने पर कुल रू0 50/– प्रति बच्चे के अनुसार संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।
- **<u>आशा एवं आंगनवाड़ी (फालोअप–प्रतिपूर्ति राशि) –</u>**भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 की आर0ओ0पी0 के FMR Code- B1.1.3.2.5 पर Severe Acute Malnutrition (SAM) बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों से डिस्चार्ज के उपरान्त 15–15 दिन पर 4 फॉलोअप कराने पर कुल रू0 100/– प्रति बच्चे के अनुसार धनराशि संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

<u>3– Procurement of Computer/Printer/UPS/Data Card -NRCs</u> में **FMR Code-B16.1.2.7** पर Procurement of Computer/Printer/UPS/Data Card -NRCs पर इकाईयों Rs.60,000/- one time) हेतु रू0 60,000/– प्रति इकाई के अनुसार धनराशि संलग्न तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

- Procurement of Computer/Printer/UPS/Data Card -NRCs पर (कम्प्युटर, यू0पी0एस0, डाटा कार्ड, प्रिन्टर, कम्प्युटर टेवल, कुर्सी हेतु) क्रय करने हेतु specification नीचे तालिका में दिये जा रहे हैं।

SN	Specifications	Qty.	Make	Amount (in Rs.)
1	Desktop having Intel core i3 or higher processor. 4GB DDR-III RAM or higher expandable up to 8GB; Integrated sound & graphics controller, Gigabite Ethernet Controller with IPV6 complaint; 500GB or higher SATA-II HDD (7200 rpm) 17" or higher TFT, LCD monitor with 5 ms or better response time and inbuilt/side attachable speakers ; Preloaded latest version antivirus software with one year free upgrade validity; Preloaded with OEM Pack Window 7 HB, all necessary Plug-n-Play/utilities and driver software , bundled in CD/DVD Media. Standard OEM Warranty. Price all inclusive.	One	Acer/ Dell/ HCL/ Wipro etc.	**60,000.00**
2	Laserjet Printer; A4,18/14 ppm or higher, 600x600 dpi (1200 dpi effective output), 2MB Memory, USB Port with 5000 pages duty cycle with one year warranty price all inclusive and Standard OEM Warranty.	One	HP/ Cannon/ Epson etc	
3	UPS 700 VA Offline with 30 mins backup Standard OEM Warranty	One	Neo-Power / APC/ EATON/ MICROTEK/TVS etc (ISO Certified with one year warranty)	
4	Data Card 14.4 Mbps/ above 14.4 Mbps 3G/4G	One		
5	Computer Table & Chair	One		
	Total Amount Rs.			**60,000.00**

पोषण पुनर्वास केन्द्र **(NRC)** सम्बन्धी कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय को पोषण पुनर्वास केन्द्र हेतु उपरोक्तानुसार कुल रू0 60,000.00 की धनराशि इस शर्त के साथ अवमुक्त की जा रही है कि यदि पूर्व में पोषण पुनर्वास केन्द्र हेतु कम्प्युटर उपलब्ध है, तो इसका उपयोग न किया जायें। कम्प्युटर का क्रय नियमानुसार किया जाये जिसे पोषण पुनर्वास केन्द्र **(NRC)** की स्टॉक बुक में अंकित किया जाये, उपरोक्त क्रय के मूल डॉक्यूमेन्ट आडिट हेतु सुरक्षित रखे जायें सामग्री क्रय करने उपरान्त उसके ओरिजनल पार्ट होने का प्रमाण पत्र सुरक्षित रखा जाये।

भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद/मेडिकल कॉलेज/सी0एच0सी0 को एन0आर0सी0 हेतु धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि **Revalidated** की गयी है तो उसका समय से उपयोग करने कें उपरान्त, मॉग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि **Unspent** के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।

नोटः—

1. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाईट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।
2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
3. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जनपद के सम्बन्धित अधिकारी/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। मुख्य चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
4. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टयों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्ट की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
5. व्यय से सबन्धित समस्त लेखाबहियॉं, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं मासिक कान्करेन्ट अडिटर, स्टेटच्यूरी अडिटर, महालेखाकार की अडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
7. प्रत्येक माह एन0आर0सी0 से मदवार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेख्या प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
8. **एन0आर0सी0 पर तैनात संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान व विभाग में कार्य करने के लिये न लगाया जाय। पर्यवेक्षण/फीडबैक में यदि इसकी पुनरावृत्ति पायी जाती है तो इसके लिये मुख्य चिकित्सा अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।**
9. सुनिश्चित करें कि संविदा कर्मी समय से ड्यूटी करें (यदि अन्य जनपद से आना जाना हो तो समय की पाबन्दी अवश्य सुनिश्चित की जाय) समय से न आने वालों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये तथा अभिलेख संविदाकर्मी की पत्रावली में प्रशासनिक कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखा जाये।
10. **भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016—17 मे पोषण पुनर्वास केन्द्र में कार्यरत संविदा मानव संसाधन हेतु पुनर्रक्षित दर के अनुसार मानदेय स्वीकृत किया गया है जिन कर्मचारियो का जिस माह में एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार आगामी माह से पूर्व में दिये जा रहे मानदेय पर भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में मानदेय में 5% की वृद्वि दी जायेगी।**
11. वित्तीय वर्ष के दौरान पोषण पुनर्वास केन्द्र मे अगर कोई भी मानव संसाधन का पद रिक्त है और उसका पद स्वीकृत हो और मानदेय उपलब्ध हो तो उस मानव संसाधन की नियुक्ति नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।
12. **जिला स्तरीय टीम द्वारा प्रत्येक तीन माह के अन्तराल पर संयुक्त रूप से पोषण पुनर्वास केन्द्र एवं कार्यरत मानव संसाधन के कार्य का अनुश्रवण किया जायेगा एवं टीम द्वारा समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/नोडल अधिकारी—एन0आर0सी0/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सुझाव दिया जायेगा जिला स्तरीय टीम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल अधिकारी—एन0आर0सी0/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक शामिल होंगें।**
13. **इस कार्यालय के पत्र संख्या— एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012—13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/96—2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेशियल मॅनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई—पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।**

4— मानव संसाधन एवं दायित्व :—

कार्यक्रम संचालन हेतु पुर्नवास केन्द्र पर निम्न स्टाफ़ की आवश्यकता होगी ।

- चिकित्सा अधिकारी —1 (संविदा पर)
- न्यूट्रीशनिस्ट काउन्सलर —1 (संविदा पर)
- स्टाफ नर्स —4 (संविदा पर)
- रसोईया —1 (संविदा पर)

- केयर टेकर —1 (संविदा पर)
- सफाई कर्मी —1 (आउट सोर्सिगं के माध्यम से)

a– चिकित्सा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :–

चिकित्सा अधिकारी द्वारा गम्भीर कुपोषित बच्चों का निदान एवं उपचार करना, दवा के बारे में स्टाफ नर्स, न्यूट्रीशनिस्ट व परिवार के सदस्यों को बताना। जॉच के उपरान्त लक्षणों के अनुसार न्यूट्रीशनिस्ट को आहार की मात्रा तय करने तथा सभी कर्मियों का आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करना। **जिला पुरूष चिकित्सालय/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 के नोडल अधिकारी–एन0आर0सी0 /अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ समन्वय रखना।** भर्ती बच्चों को सायंकालीन राउन्ड कर उनकी समुचित देखभाल करना, स्टाफनर्स को आवश्यक निर्देश देना, दवाइयों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, सेमचार्ट एवं एन0आर0सी0 रजिस्टर का नियमित अवलोकन करना माह के अन्त में प्रारूप पर मासिक रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी/महानिदेशक परिवार कल्याण एवं एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करना। प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित मासिक बैठक में पोषण पुनर्वास केन्द्र पर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के विषय में जानकारी देना।

- भर्ती किये जाने वाले बच्चों के बारे में ब्लॉक स्तर पर आयोजित आशाओं तथा आंगनवाड़ी की बैठक में आशाओं को प्रशिक्षित करना तथा दिये जाने वाले इन्सेन्टिव की जानकारी देना। वाहन की व्यवस्था संयुक्त रूप से अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा डी0सी0पी0एम0 के साथ समन्वय कर भ्रमण की व्यवस्था की जा सकती है। उक्त के साथ एन0आर0सी0 में तैनात संविदा कर्मियों के दायित्व का पर्यवेक्षण करना तथा प्रशिक्षण देना।
- एन0आर0सी0 के चिकित्साधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली पोषण मिशन की बैठक में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है।

b– न्यूट्रीशनिस्ट के कार्य एवं दायित्व :–

प्रत्येक बच्चे के वज़न और स्थिति के अनुसार प्रतिदिन आहार तय करना। रसोइया को आहार तैयार करने हेतु किस वस्तु को कितनी मात्रा में कब मिलाना है और कितना मिलाना है के विषय में निर्देशित करना होगा न्यूट्रीशनिस्ट को प्रातः 9:00 बजे से 5:00 बजे तक बच्चों की देखभाल करनी होगी।

- माताओं को पोषण पुर्नवास केन्द्र एवं घर पर पोषण आहार, बच्चे की देखभाल, स्वास्थ्य एवं साफ सफाई करने संबंधित विषयों पर प्रतिदिन परामर्श सत्र आयोजित कर सलाह देना।
- स्टाफ नर्स, रसोइया एवं केयर टेकर के साथ मिलकर सुनिश्चित करना कि वार्ड में भर्ती बच्चों को सभी आहार, सूक्ष्म पोषक तत्व, दवाइयों एवं टीकाकरण की सुविधा प्राप्त हो सके।
- पोषण पुर्नवास केन्द्र के रख रखाव एवं खाना बनाने के लिए आवश्यक समस्त सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- न्यूट्रीशनिस्ट को सूक्ष्म पोषक तत्वों की मानकानुसार जानकारी होना चाहिये।
- चिकित्सक को प्रत्येक बच्चे की स्थिति जैसे वज़न में हुई बढ़ोतरी, कमी, लिया गया आहार एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना।
- हर दिन नियत समय पर (सुबह 10.00 बजे) प्रत्येक बच्चे का वज़न लेकर माँ को बतलाना, उसे परामर्श देना एवं सैम चार्ट में अंकित करना। पोषण पुर्नवास केन्द्र से संबंधित समस्त सामग्री का लेखा जोखा स्टाफ नर्स के साथ मिलकर रखना। बच्चे का, सैम चार्ट, एन0आर0सी0 रजिस्टर, डिस्चार्ज टिकिट, फोटो एल्बम का रख–रखाव एंव मासिक भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।
- वेब–बेस्ड एन0आर0सी0 एम0आई0एस0 डेटाइन्ट्री एवं रिपोर्टिंग का कार्य भी आपके द्वारा किया जायेगा।
- स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित बैठक में भाग लेकर पोषण पुनर्वास केन्द्र पर दी जा रही सेवाओं के बारे में प्रचार–प्रसार करना आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री को Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना तथा कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन के लिये प्रेरित करना।
- बच्चो की भर्ती की संख्या, दिन, दिनांक का ग्रामवार एवं आशावार/आंगनवाड़ी के अनुसार ब्यौरा रखा जाये तथा इसे DPO/CDPO को प्रभावी फॉलो–अप के लिए प्रत्येक माह अवगत कराया जाये।

- सप्ताह में 2 बार समय निकाल कर प्रसव पूर्व/प्रसव उपरान्त महिला वार्ड में स्तनपान को बढावा देने के विषय में माताओं को जानकारी देना, उससे होने वाले लाभ एवं कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना। कितने महिलाओं को इसकी जानकारी दी गयी है की तिथिवार पूर्ण जानकारी अपनी डायरी में अंकित करें।

c– स्टाफ नर्स के कार्य एवं दायित्व :–

- केन्द्र में भर्ती गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना। स्टाफ नर्स की डियूटी रोटेशन के अनुसार 8–8 घंटे की होगी।
- चिकित्सक के अनुसार हर बच्चे को दवाइयां देना एवं इंजेक्शन लगाना। चिकित्सक के द्वारा लिखे गए इलाज की हर खुराक की निगरानी करना एवं सैम चार्ट में अंकित करना।
- सुनिश्चित करना कि हर बच्चे को छूटे हुए टीकाकरण का लाभ मिल सके। (हर बच्चे का सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना)
- पोषण पुर्नवास केन्द्र में उपलब्ध दवाओं की उपलब्धता, उपयोग एवं खरीद सम्बन्धी सूची बनाना।
- बच्चे का सैम चार्ट, एन0आर0सी0 रजिस्टर, डिस्चार्ज टिकिट, फोटो एल्बम का रख–रखाव की स्टाफनर्स व न्यूट्रीशनिस्ट दोनों की जिम्मेदारी होगी।
- स्टाफ नर्स को मानकानुसार दवायों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी होना आवश्यक है एवं बच्चों को मानक के अनुसार दवायें देने के बारे में सेम चार्ट में अंकित किया जाये।
- चिकित्सक तथा न्यूट्रीशनिस्ट से परस्पर तालमेल रखकर बच्चे की देखभाल तथा आवश्यकता के अनुसार बच्चे को दवा देना, बच्चे की साफ–सफाई रखना, बिस्तर साफ रखना, वज़न लेना, यदि अन्य कोई संक्रमण या बीमारी है तो चिकित्सक से परामर्श कर दवा देना आदि स्टाफ नर्स की जिम्मेदारी है। कितने बच्चे भर्ती किये गये कितने डिस्चार्ज किये गये का रखरखाव भी स्टाफ नर्स की ही जिम्मेदारी है मां को बच्चे की देखभाल के बारे में बताना। चिकित्सक की अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल कर उसका हाल चिकित्सक को बताना जिससे सही इलाज हो सके।
- न्यूट्रीशनिस्ट की डियूटी समाप्त होने के उपरान्त डियूटी पर उपस्थिति स्टाफ नर्स द्वारा बच्चों को चिकित्सक/न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा निर्धारित की गयी डाईट के अनुरूप आहार तैयार कर, बच्चे को दिया जायेगा।
- डियूटी स्टॉफ नर्स, रसोईया की डियूटी के पश्चात चिकित्सक/न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा निर्धारित की गयी डाईट के अनुरूप आहार रसोईया से समन्वय कर बच्चे को प्रदान करेगी। रात में बच्चे की फीड इकाई में कार्यरत स्टाफनर्स द्वारा प्रदान बनायी जायेगी एवं इकाई में भर्ती बच्चों को फीड दिया जायेगा तथा बच्चे के ग्रहण के अनुसार सैम चार्ट में अंकित किये जायेगा।
- भर्ती बच्चे के माता पिता को संन्तुलित आहार एवं पौष्टिक आहार के बारे में शिक्षित करना तथा बच्चों में कुपोषण से बचाव के बारे में समझाना।
- समय निकाल कर प्रसव पूर्व/प्रसव उपरान्त महिला वार्ड में स्तनपान को बढावा देने के विषय में माताओं को जानकारी देना, उससे होने वाले लाभ एवं कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना। कितने महिलाओं को इसकी जानकारी दी गयी है की तिथिवार पूर्ण जानकारी अपनी डायरी में अंकित करें।
- आशा एवं आंगनवाडी कार्यकत्री को Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना तथा कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन के लिये प्रेरित करना।

d– रसोईया के कार्य एवं दायित्व :–

- न्यूट्रीशनिस्ट के निर्देशानुसार भोजन बनाना, केयर टेकर से सम्पर्क स्थापित कर समय से भोजन तैयार करना।
- रसोई की साफ सफाई सुनिश्चित करना। खाना पकाने एवं रसोई में भंडारण के लिए उपयोग किये जाने वाले बर्तनो को साफ करना।
- सुनिश्चित करना कि भोजन साफ सफाई से तैयार हो एवं बच्चे के लिए सुरक्षित भी हो। यह भी सुनिश्चित करना कि वार्ड में बच्चे को कोई भी अन्य खाद्य सामग्री न दी जाये।

- बच्चों की मांताओं को पोषक आहार बनाने की विधि प्रदर्शित करें ताकि छुटटी के उपरान्त मांतायें अपने घर में भी बच्चे को पोषित आहार दे सकें।
- रसोईया अपनी डूयूटी के पश्चात बच्चों को दिये जाने वाले आहार की व्यवस्था के बारे में डूयूटी स्टॉफ नर्स को सूचित करेगा।
- रसोईया एवं केयर टेकर को आपस में सामंजस्य स्थापित कर माँ एवं परिजन के आहार की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना है।
- सभी माताओ को अपने द्वारा इस्तेमाल किये गये बर्तनों को स्वयं धोने के लिये प्रोत्साहित करना।

e– केयर टेकर के कार्य एवं दायित्व :–

- वार्ड, स्नान गृह, रसोई एवं भोजन करने के स्थान की साफ सफाई सुनिश्चित करना। प्रत्येक बच्चे, उसके माता–पिता एवं अभिभावक की व्यक्तिगत साफ–सफाई सुनिश्चित करना।
- रसोइया को सभी बच्चों को आहार/भोजन वितरण करने में मदद करना।
- सुनिश्चित करना कि प्रत्येक मां अपने बच्चे को सभी भोजन खिलाएं एवं इसकी जानकारी आहार तालिका में नियमित रूप से दर्ज हो जाए।
- प्रत्येक बच्चे का मनो–सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हें खेलकूद में व्यस्त करना, उनसे बातचीत करना एवं उनकी माताओं को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- आवश्यकता अनुसार बच्चों को भोजन देने एवं उनके आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु माताओं को जानकारी देना।

f– सफाई कर्मी के कार्य एवं दायित्व :–

- एन0आर0सी0 वार्ड की रसोई, बच्चों के प्ले एरिया एवं शौचालय की नियमित साफ सफाई करेगें। सफाई कर्मी को सफाई की उपयोगिता के महत्व की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाय। कूड़े का निस्तारण करने हेतु मानकों के अनुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चत की जाय।
- सफाई कर्मी को वार्ड के मानकों के अनुसार कूड़ा निस्तारण के बारें में प्रशिक्षित किया जाय प्रशिक्षित कर्मी वार्ड में भर्ती मरीजों के माता पिता को सफाई एवं संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी देना एवं जागरूक करना।

5– गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की भर्ती के मानक (निम्न में से कोई एक मानक)–

बच्चों के भर्ती के मानक	
6 माह से 59 माह	1–बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न– (–3) एस0डी0 से कम
	2–बच्चे की मिड अपर आर्म का माप– 11.5 से0मी0 से कम
	3–बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा।
6 माह से कम उम्र के बच्चों	1–बच्चे की लम्बाई के अनुपात में वज़न– (–3) एस0डी0 से कम (45 सेन्टी मीटर से अधिक के लिये) 2–बच्चे के दोनो पैरो में पिटिंग एडीमा। 3–देखने में अति गंभीर कुपोषित (45 सेन्टीमीटर से कम के लिये)

गंभीर कुपोषित बच्चों में कभी कभी अन्य जटिलताये हो सकती है उन्हें प्राथमिकता के अनुसार उपचार हेतु भर्ती किया जाय।

नोटः–

1. सामान्यतः कुपोषित बच्चों को 10–15 दिन तक भर्ती रखा जायेगा परन्तु यदि बच्चे में मानक के अनुसार सुधार नहीं हुआ है अथवा कोई अन्य जटिलता है तो बच्चे को चिकित्सक की सलाह से 4 सप्ताह तक भर्ती रखा जा सकता है ऐसे बच्चों की केस सीट आडिट हेतु सुरक्षित रखी जाय। जो बच्चे दो सप्ताह के उपरान्त भी केंद्र मे भर्ती रहेंगे उनको यथावत धनराशी देय होगी।
2. आंगनवाड़ी द्वारा नये डब्लू0एच0ओ0 ग्रोथ चार्ट द्वारा चिन्हित गंभीर अल्प वज़न वाले बच्चों में से केवल उन्हीं बच्चों की भर्ती की जायेगी जिनका "मिड अपर आर्म सर्कमफियरेन्स' (MUAC) 11.5 से.मी. से कम होगा एवं पैरों में पिटिंग सूजन होगी।

3. चिन्हित बच्चों में से ए0एन0एम0 / आशा / ऑगनवाड़ी बच्चे को भर्ती कराने से पहले (MUAC) 11.5 से.मी. से कम एवं पैरों में पिटिंग सूजन की जॉच कर लेने की जानकारी अवश्य दी जाय।

6– बच्चों के छुट्टी के मानकः–

- वज़न में 15 प्रतिशत की वृद्धि।
- 5 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति दिन की वृद्धि लगातार 3 दिन।
- बच्चे की भूख वापस आना।
- शरीर पर सूजन न होना,
- बच्चे के अन्य बीमारी के लक्षण के उपचार हो जाने पर।

7– कुपोषित बच्चों के उपचार के उपरान्त फॉलोअप :–

- पोषण पुनर्वास केन्द्र के उपचार के उपरान्त 2 माह में 4 बार फॉलोअप 15 दिन के अन्तराल पर किया जाना है। छुट्टी के समय डिस्चार्ज टिकट पर फॉलोअप की दिनांक अंकित की जाय तथा मां को इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय।
- किसी भी फॉलोअप के दौरान अगर बच्चे का **weight-for-height/length SD score-1SD** अथवा **MUAC** 12.5 cm या उससे अधिक हो तो बच्चे को आगामी फॉलोअप विजिट से छूट दी जा सकती है।
- सप्ताह में बच्चों के फॉलोअप के लिये 2 दिन निश्चित किये जाये तथा छुट्टी के समय मां को इन दिनों की जानकारी लिखित एवं मौखिक रूप से दी जाय।

8– रिपोर्ट का प्रेषणः–

पत्र के साथ मासिक एवं त्रैमासिक भौतिक प्रगति के प्रेषण हेतु प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। प्रत्येक माह भौतिक प्रगति रिपोर्ट आगमी माह की 7 तारीख तक मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक के कार्यालय को भेजी जाय। बच्चे की विस्तृत कम्प्यूटराइज्ड रिपोर्ट भी प्रत्येक माह तैयार की जाय। रिपोर्ट, तैयार करने की जिम्मेदारी न्यूट्रीशनिस्ट एवं स्टाफ नर्स की होगी। रिपोर्ट, मुख्य चिकित्साधिकारी, महानिदेशक, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक के कार्यालय को भेजने की जिम्मेदारी चिकित्सक की होगी।

9– कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

पोषण पुर्नवास केन्द्र पर अति कुपोषित बच्चे की भर्ती के मानक तथा छुट्टी के मानक एवं दी जाने वाल सुविधाओं की जानकारी (<u>प्रोटो टाइप संलग्न</u>) व पारिदर्शिता के लिये 2 फीट चौड़ी व 3 फीट लम्बाई के अलग अलग फ्लैक्स बैनर बनवा कर लगवाये जाये अथवा वाल पेन्टिंग पोषण पुनर्वास केन्द्र के बाहर एवं अन्दर कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। अति कुपोषित बच्चे की भर्ती के मानक तथा छुट्टी के मानकों को आंगनवाड़ी / आशाओं को बताया जाये। पोषण पुर्नवास केन्द्र की क्रियाशीलता बनाये रखने के लिये मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकरी द्वारा समय समय पर केन्द्र का अनुश्रवण करेंगे। परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा भी औचक निरीक्षण किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में किसी अन्य जानकारी हेतु संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

<u>संलग्नक– उपरोक्तानुसार</u>

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/NRC / 18–4 / 2016–17 / 5833-70-71 दिनांक / 09 / 2016

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **प्रमुख सचिव**, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. **सम्बन्धित मण्डलायुक्त,** उत्तर प्रदेश।
4. **महानिदेशक, परिवार कल्याण,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा एन0आर0सी0 की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
5. **महानिदेशक,** राज्य पोषण मिशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6. **महानिदेशक, चिकित्सा** शिक्षा, जवाहर भवन लखनऊ।
7. **निदेशक,** आई0सी0डी0एस0, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
8. **सम्बन्धित जिलाधिकारी** / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति।
9. **सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
10. **संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0,** परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
11. **कुलपति,** अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
12. **प्रधानाचार्य,** एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद / जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर / बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर / आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झॉसी।
13. **विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग,** कोऑर्डिनेटर, एन0आर0सी0 जे0एन0 मेडीकल कॉलेज अलीगढ, एम0एल0एन0, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, जी0एस0वी0एम0, मेडिकल कॉलेज कानपुर, बी0आर0डी0, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, आर0एल0बी0, मेडिकल कॉलेज झॉसी को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
14. **सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,** जिला पुरूष चिकित्सालय को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
15. **प्रभारी / चिकित्सा अधीक्षक**, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द, तालबेहट, मेहरौनी, मढावरा, बिरघा, बार, जखोरा को इस आश्य के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
16. **सम्बन्धित मण्डलीय एवं जनपदीय** कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि वे जिला परियोजना अधिकारी एवं जनपद के उल्लेखित पृष्ठांकित अधिकारियों को एक प्रति उपलब्ध करा दें।
17. **न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट**, यूनिसेफ, बी–3 / 258, विशालखन्ड, गोमतीनगर, उ0प्र0 लखनऊ।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

क्र0सं0	पोषण पुनर्वास केन्द्र पर दी जाने वाली सुविधाये।
1	पोषण पुनर्वास केन्द्र पर भर्ती योग्य बच्चे को निशुल्क भर्ती किया जाता है।
2	बच्चे के खाने की व्यवस्था चिकित्सक की सलाह के अनुसार दी जाती है जो निशुल्क है।
3	पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चे की माँ/परिजन को निशुल्क आहार उपलब्ध कराया जाता है।
4	102 एम्बुलेंस से केन्द्र में बच्चों को लाने और छोड़ने की सुविधा निशुल्क दी जाती है।
3	बच्चे को दी जाने वाली आवश्यक दवायें निशुल्क है।
4	भर्ती के दौरान बच्चे की माँ को रू0 50 प्रति दिन के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाता है।
5	आशा/ऑगनवाड़ी यदि भर्ती होने योग्य बच्चे को साथ लाती है तो आशा / ऑगनवाड़ी को रू0 50 प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है। आशा/ऑगनवाड़ी द्वारा डिस्चार्ज के पश्चात बच्चे के 4 फॉलोअप कराने पर अतिरिक्त रू0 100/- प्रति बच्चा दिया जायेगा।
6	बच्चे को चिकित्सक की सलाह के अनुसार फॉलोअप के लिये बताये गये समय पर कम से कम 4 बार दिखाना चाहिये।
7	बच्चे को फॉलोअप के लिये लाने पर माँ को एक दिन का दैनिक भत्ता रू0 100 एवं प्रति बच्चे को खाने के लिए अतिरिक्त रू0 40/- प्रति बच्चे दिया जायेगा।
8	चिकित्सक की सलाह के बिना बच्चे को घर ले जाने पर कोई धनराशि देय नहीं है।
9	किसी शिकायत के लिये चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से सम्पर्क करें अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 180 1900 पर अपनी शिकायत दर्ज करायें।

नोट– ऊपर दी गयी तालिका को जन समुदाय की जानकारी व पारदर्शिता के लिये 2 फीट चौडे व 3 फीट लम्बे फ्लैक्स बैनर बनवाकर 1 पोषण पुनर्वास केन्द्र के बाहर तथा 1 केन्द्र के अन्दर लगवाना सुनिश्चित किया जाय अथवा वाल पेन्टिंग करायी जाय।